प्रतिवेद्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

सिविल अपील अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 4815 वर्ष 2019

अनुपाल सिंह एवं अन्य. अपीलार्थी(गण)

बनाम

प्रमुख सचिव व्यक्तिगत विभाग,

उ.प्र. राज्य एवं अन्य के माध्यम से प्रत्यर्थी(गण)

साथ में

सिविल अपील संख्या **4817/2019,** सिविल अपील संख्या **4816/2019,** सिविल अपील संख्या **4819/2019,** सिविल अपील संख्या **4818/2019,** सिविल अपील संख्या **4821/2019,** सिविल अपील संख्या **4820/2019,** सिविल अपील संख्या **4830/2019,** सिविल अपील संख्या **4829/2019,** सिविल अपील संख्या **4833/2019,** सिविल अपील संख्या **4825/2019,** सिविल अपील

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

संख्या 4827/2019, सिविल अपील संख्या 4834/2019, सिविल अपील संख्या 4828/2019, सिविल अपील संख्या 4824/2019, सिविल अपील संख्या 4835/2019, सिविल अपील संख्या 4822-23/2019, सिविल अपील संख्या 4836/2019, सिविल अपील संख्या 4826/2019, सिविल अपील संख्या 4832/2019, सिविल अपील संख्या 4831/2019.

नि र्ण य

न्यायमूर्ति आर. भानुमति

प्रस्तुत अपीलें रिट याचिका (सिविल)–34196 वर्ष 2015 में पारित निर्णय दिनांकित 10.02.2017 और उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित समूह रिट याचिका से उत्पन्न हुयी हैं जिसके द्वारा न्यायालय ने कृषि विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट समूह–ग के लिखित परीक्षा के परिणाम को बरकारार रखते हए लिखित परीक्षा के बाद की चयन प्रक्रिया को खारिज कर दिया और मुख्य सचिव, उ.प्र. राज्य को निर्देश जारी किया कि वह समुचिक आँकड़ा और संवर्ग क्षमता के साथ विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत वास्तविक व्यक्तियों की संख्या का अधियाचन उ .प्र.

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

लोक सेवा आयोग को प्रेषित करें जिससे नये सिरे से साक्षात्कार कराकर चयन प्रकिया पूरी की जा सके।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

उ. प्र. लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या ए–5, ई–1/2013 दिनांकित 22.10.2013 जारी कर अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग–3 के लिए 6628 पदों के सापेक्ष आवेदन की मांग की। उक्त अधियाचन में कुल 6628 पदों का अधियाचन किया गया। श्रेणीवार पदों की संख्या इस प्रकार हैः–

विज्ञापन संख्या	अधीनस्थ कृषि सेवा, संवर्ग–3 (तकनीकी सहायक समूह–ग) के पदों हेतु रिक्तियां			
विज्ञापन संख्या ए–5, ई 1/2013 दिनांकः22.10.2013 **कुल रिक्तियांः 6628**	**सामान्य** **3616**	**एस.सी.** **2211**	**एस.टी.** **235**	**अ.पि.व.** **566**

मूल अधियाचन में क्षैतिज आरक्षण इस प्रकार हैः–

महिला	दिव्यांग	स्वतंत्रा सेनानी आश्रित	भूतपूव सैनिक

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

1325	253	132	131

अपीलार्थियों और प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने 30.03.2014 को आयोजित लिखित परीक्षा के लिए आवेदन किया। उ.प्र. लोक सेवा (एस.सी., एस.टी. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संक्षेप में, उ.प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994) के अनुसार, रिक्तियों के विशिष्ट प्रतिशत को विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षित किया गया है, जैसे, (क) एस.सी.– 21 प्रतिशत (ख) एस.टी.– 2 प्रतिशत (ग) अ.पि.व.– 27 प्रतिशत। इस बात को राज्य सरकार के ज्ञान में लाया गया कि पूर्व अधियाचन में श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या में गलत गणना की गयी और इसलिए पूर्व अधियाचन में सुधार किया जाना अपेक्षित था। तकनीकी सहायक समूह–ग की संवर्ग क्षमता और विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत व्यक्तियों की वास्तविक क्षमता के बारे में विस्तृत जांच करने के उपरान्त यह पाया गया कि प्रारम्भ में सामान्य/अनारक्षित और अ.पि.व. में अधियाचित अभ्यर्थियों की संख्या की गलत गणना की गयी। यह पाया गया कि जिन डिप्लोमाधारी को सामान्य कोटा में नियुक्त किया जाना था किन्तु उन्हें गलती से अ.पि.व. कोटे में नियुक्त कर लिया गया और इसी का सुधार किया जाना था। राज्य के अनुसार डिप्लोमाधारी को

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सामान्य कोटे के सापेक्ष समायोजित करने और आरक्षण संबंधी संवैधानिक और सांविधिक नियमों को लागू करने के उपरान्त राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों की रिक्तियों को समाप्त कर दिया है और विभिन्न श्रेणियों की रिक्तियों के लिए संशोधित अधियाचन प्रेषित किया। व्यक्तिगत विभाग की राय लेने के उपरान्त राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांकित 20.08.2014 द्वारा विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों की संशोधित रिक्तियों को लागू आरक्षण नियमों के अनुरूप अनुमोदित किया और तदनुरूप अधियाचन को संशोधित किया। कृषि विभाग ने उक्त आदेश दिनांक 20.08.2014 के आधार पर अपने पत्र संख्या ए.सी./101 दिनांकित 20.08.2014 द्वारा उ.प्र. लोक सेवा आयोग को 6628 पदों के सापेक्ष संशोधित अधियाचन को प्रेषित किया जो इस प्रकार हैः–

विज्ञापन संख्या	अधीनस्थ कृषि सेवा, संवर्ग–3 (तकनीकी सहायक समूह–ग) के पदों हेतु रिक्तियां			
शासकीय आदेश संख्या 912/12–04–14–1992/2014	**सामान्य** **2515**	**एस.सी.** **1882**	**एस.टी.** **201**	**अ.पि.व.** **2030**

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिनांकः20.08.2014 **कुल रिक्तियांः 6628**				

संशोधित अधियाचन में क्षैतिज आरक्षण इस प्रकार हैः–

महिला	**दिव्यांग**	**स्वतंत्रा सेनानी आश्रित**	**भूतपूव सैनिक**
1325	**253**	**132**	**131**

उक्त संशोधित अधियाचन के आधार पर उ.प्र. सरकार ने दिनांक 15.09.2014 को लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा की जहां अपीलार्थी (गण) और प्राइवेट प्रत्यर्थी (गण) सफल घोषित कर दिये गये। उ. प्र. सरकार ने लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के उपरान्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.102014 जारी किया जिसमें शासकीय आदेश दिनांकित 20.08.2014 से संगत सामान्य/अनारक्षित–2515, एस.सी.– 1882, एस.टी.– 201, अ.पि.व.– 2030 पदों का विज्ञापन निकाला। लिखित परीक्षा को पास करने वाले सफल अभ्यर्थी 27.10.2014 से शुरू साक्षात्कार में शामिल हुए। अन्त में, दिनांक

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

21.05.2015 को सफल अभ्यर्थियों की जारी सूची हुई जिसमें प्राइवेट प्रत्यर्थी (गण) लिखित परीक्षा पास नहीं कर पाये।

3. असफल अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यर्थी 1 और 4 के विरूद्ध अनेक रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गयीं जिसमें उन्होंने यह अभिवचन किया कि सफल अभ्यर्थी कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 का उल्लंघन करते है और दिनांक 21.05.2015 को घोषित किये गये परिणाम को खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे दिनांकित 12.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन के बिना महत्व दिये नये सिरे से परिणाम तैयार करने के लिए प्रत्यर्थी 1 और 4 को निर्देश दिये जाने की प्रार्थना किया। यह तर्क दिया गया कि विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करना अवैधानिक है और यह चयन प्रक्रिया के मध्य में खेल के नियमों में बदलाव करने के बराबर है। आक्षेपित परिणाम इस आधार पर भी दूषित था कि यह उ.प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(1) और उ.प्र. अधीनस्थ कृषि सेवा निमयमावली, 1993 का नियम 15(3) के विपरीत है और एस.सी., एस.टी. अ.पि.व. को दिये जाने वाले आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को पार कर गया।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

4. आरक्षण के मुद्दे पर निर्णयों का संदर्भ देकर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा रिट याचिकाओं को अनुज्ञा प्रदान कर निम्नानुसार धारित किया:–

- प्रस्तुत मामले में रिक्तियां डिप्लोमाधारियों की पकड़ में आ चुका है जहां पर 1749 डिप्लोमा को वर्ष 1998 में विभाग में समायोजित /नियमितीकरण किया गया। उनके नियमतीकरण के समय भी उनके उनकी गणना की गयी और जो उनके नियमितीकरण आदेश के प्रदर्शित होता है और जब एक बार जब उनकी गणना उनके श्रेणी में कर ली गयी और आरक्षित श्रेणी में मुख्य रूप से अ.पि.व. वर्ग के व्यक्तियों पर्याप्त रूप से जगह दे दी गयी तब डिप्लोमा धारी को सामान्य वर्ग में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
- दिनांक 15.09.2014 को लिखित परीक्षा के परिणाम आने के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या में बदलाव करना विज्ञापन के लंबित रहने के दौरान कृषि सेवा नियमावली के नियम 15(3) का उल्लंघन है और इस प्रकार और 3303 सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल भी न देना और 4392 अ.पि.अ. के अभ्यर्थियों को चयन हेतु साक्षात्कार में शामिल होने देना चयन प्रक्रिया के दौरान खेल के नियमों में बदलाव करने के बराबर है।
- आयोग ने दिनांक 21.05.2015 को अन्तिम परिणाम की घोषणा की जिसमें आरक्षित श्रेणियों के 88 प्रतिशत अभ्यर्तियों को सफल घोषित कर दिये गये जबकि सामान्य श्रेणी के 12 प्रतिशत अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। यह सम्पूर्ण चयन उ.प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 और कृषि सेवा नियमावली, 1993 के नियम 15(3) के विरूद्ध है।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

उक्त निष्कर्षों एवं तर्कों के आधार पर उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुज्ञा प्रदान कर दिया और कहा कि लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के उपरान्त की सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया दूषित है और यह पोषणीय नहीं है। यूनियन ऑफ इण्ड़िया एवं अन्य बनाम चक्रधर (2002) 3 एस.सी.सी. 146 का अवलम्ब लेकर उच्च न्यायालय ने धारित किया कि जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया दूषित है तब व्यक्तिगत सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है इस तरह सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने प्रधान सचिव, उ.प्र. राज्य को निर्देश जारी कर कहा कि वे समग्र आँकड़ो सहित संवर्ग क्षमता एवं विभिन्न श्रेणियों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की वास्तविक संख्या तत्काल लोक सेवा आयोग के भेंजे ताकि जल्द से जल्द साक्षात्कार कराया जा सके और यह भी कहा कि सम्पूर्ण प्रक्रिया चार माह में पूर्ण करें।

5. आक्षेपित निर्णय से दुःखी अपीलार्थी/ चयनित अभ्यर्थी अपने–अपने पदों पर पहले ही नियुक्त हो चुके हैं औ उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह अपीलें की हैं।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

न्यायालय ने दिनांक 03.03.2017 को आदेश जारी कर मामले में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है जैसा कि उक्त तिथि पर था।

6. इन अपीलों को विस्तारपूर्वक सुना गया और सुनवाई कई तारीखों तक चली। हमने अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. करपागा विनयगम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरू कृष्ण कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती महालक्ष्मी पवानी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती विभा दत्ता मखीजा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मेहुल एम. गुप्ता और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. सुब्बाराव को सुना। हमने अपीलार्थियों–प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता श्री परमेश्वर, विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल नौरिया, विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सुमिता हजारिका और विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार तिवारी को सुना।

<u>अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क</u>

7. **वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया:** ने तर्क देकर कहा कि संशोधित अधियाचन उ.प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुरूप है और

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

चयन प्रक्रिया को दूषित करने वाले दुर्भावनापूर्ण/मनमानापूर्ण किसी प्रकार के आरोप नहीं लगाये गये है। यह तर्क दिया गया कि राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा प्राप्त परिवाद के आधार पर कृषि विभाग ने जांच किया है और पाया कि श्रेणीवार रिक्तियों की गलत गणना की गयी है और इसे संशोधन अपेक्षित है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कथन किया कि उ.प्र. लोक सेवा आयोग का कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 कृषि विभाग के अधियाचन दिनांकित 20.08.2014 पर आधारित है और केवल श्रेणीवार रिक्तियों का बंटने का कार्य कर उसे संशोधित किया गया है और ऐसा करते समय उच्च न्यायालय यह कहने में गलती किया कि चयन प्रक्रिया के दौरान खेल के नियमों को बदला गया है जिससे चयन दूषित हुआ है। यह कथन किया गया कि योग्यता को पूरी तरह से नहीं बदला गया है और उच्च न्यायालय ने लिखित परीक्षा की घोषणा करने के स्तर से चयन प्रक्रिया रद्द करने के लिए **के. मंजूश्री बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य** (2008) 3 एस.सी.सी. 512 **एवं हिमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय** (2008) 7 एस.सी.सी 11 का अवलम्ब लेने में गलती पारित किया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि प्राइवेट प्रत्यर्थी/ हस्तक्षेपकर्ता साक्षात्कार में भाग लिया और और यह पाया कि वे असफल घोषित हो चुकें हैं तब उन्होंने रिट याचिकाओं को दाखिल

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

किया है और वे कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 और चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से विबंधित हैं।

8. **विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम करपागगा** ने कथन किया कि उ.प्र. लोक सेवा आयोग का कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 कृषि विभाग द्वारा भेजे गये अधियाचन दिनांकित 20.08.2014 पर आधारित था और जब प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने पाया कि वे असफल घोषित हो गयें हैं तब उन्होंने कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 को चुनौती दी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि रिक्तियों की संख्या में किये गये परिवर्तन का विरोध नहीं किया है और चूंकि अपीलार्थी चयन पा चुकें हैं और वर्तमान में कार्य कर रहे हैं , यदि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द किया जाता है तो उन पर बहुत बड़ा पूर्वाग्रह होगा।

9. **वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरू कृष्ण कुमार** ने कथन किया कि राज्य सरकार ने विस्तृत प्रतिशपथपत्र दाखिल कर अधियाचन को संशोधित करने के कारणों को स्पष्ट कर बताया कि इसको केवल उ.प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 के सांविधिक प्रावधानों और आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करने के लिए किया गया।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

उच्च न्यायालय ने इस पक्ष को उचित रूप से विचारित नहीं किया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने यह नहीं बताया कि अ.पि.व. श्रेणी के पदों की संख्या बढ़ाने वे कैसे प्रभावित हुए हैं। यह तर्क दिया गया कि सफल अभ्यर्थियों को रिट याचिका में न जोड़ना घातक है और उच्च न्यायालय यह कहने गलत था कि कुछ सफल अभ्यर्थियों को जोड़ा जाना पर्याप्त है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि खेल के नियमों को नहीं बदला गया केवल श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या में बदलावा किया गया और राज्य सरकार के पास शक्ति है कि वे उ.प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 के सांविधिक प्रावधानों और आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करने के लिए अधियाचित रिक्तियों की संख्या को संशोधित कर सकती है।

10. **वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती महालक्ष्मी पवानी** ने उक्त कथनों को दोहराते हुए कहा कि टेक्निकल असिस्टेंट– समूह ग के चयन हेतु योग्यता मानक में बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि केवल श्रेणीवार रिक्तियों का वर्गीकरण किया गया है और उच्च न्यायालय अपीलार्थियों को चयन को जो अपास्त किया है वह सही नहीं था। यह कथन किया गया कि सफल अभ्यर्थी तीन वर्षों से काम कर रहे हैं और वे

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

श्रेणियों में मेरिट के आधार पर चयनित और नियुक्ति हुए हैं और पूरी चयन प्रक्रिया को अपास्त नहीं किया जा सकता है।

11. **वरिष्ठ अधिक्ता श्रीमती विभा दत्ता मखीजा** उक्त कथनों को दोहराया और कहा कि पूर्व अधियाचन दिनांकित 03.10.2012 को जारी करने के उपरान्त विभाग ने उसकी जांच कर पाया कि श्रेणीवार रिक्तियों में जो गलत गणना की गयी थी वह गलत थी। उन्होंने आगे कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष एक परिवाद किया गया था और जिसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग ने जांच किया और पाया कि श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या में गलत गणना की गयी थी और पूर्व अधियाचन में संशोधन किये जाने की जरूरत थी। यह कहा गया कि जब किसी तरह के दुर्भावना/भेदभाव के आरोप नहीं लगाये गये तब सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को अपास्त नहीं किया जा सकता है।

12. **विद्वान अधिवक्ता श्री मेहुल गुप्ता एवं श्री सुब्बा राव** ने उक्त तर्कों को दोहराया ...श्री मेहुल गुप्ता ने न्यायालय से यह प्रार्थना की कि वह भारत के संविधान के

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

142 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर 906 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करें।

<u>राज्य के तर्क</u>

13. **वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. आर. सिंह** ने राज्य द्वारा दाखिल प्रतिशपथपत्र की विशिष्टियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय यह कहने में सही नहीं था कि अधियाचन को संशोधित करने का अर्थ चयन प्रक्रिया के दौरान खेल के नियमों में बदलाव करना है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कथन किया कि श्रेणीवार रिक्तियों की गणना में हुई गलती को सुधारने मात्र से चयन प्रक्रिया के दौरान खेल के नियमों में बदलाव करना नहीं होता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने डिप्लोमा धारी को सामान्य श्रेणी के सापेक्ष समायोजित किये जाने संबंधी कथनों को भी स्पष्ट किया है। यह कथन किया गया कि नियुक्ति को संवैधानिक सीमाओँ के तहत लाने के लिए केलल 6599 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गयी और 29 अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रपत्रों को न जमा कर पाने के कारण रोक दिया गया है। यह कथन किया गया कि 906 अभ्यर्थियों को नियुक्ति

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इसलिए नहीं प्रदान की गयी क्योंकि यह उ.प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुज्ञेय संवैधानिक सीमा के परे चला जाएगा।

<u>प्राइवेट प्रत्यर्थियों के तर्क</u>

14. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि श्रेणीवार रिक्तियों में बदलाव करना संवैधानिक प्रावधानों और कृषि सेवा नियमावली, 1993 के नियम 15(3) के संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन है और इससे संवैधानिक नियम भंग होते हैं और विभिन्न श्रेणियों में पदों की संख्या में संशोधन कर काफी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने से अवैधानिक रूप से रोका गया था। यह तर्क दिया गया कि कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 जिसके द्वारा श्रेणीवार रिक्तियों में बदलाव किया गया वह भेदभावपूर्ण है और उच्च न्यायलय ने धारित किया कि चयन प्रक्रिया के दौरान खेल के नियमों को बदला गया था जो सही है। उच्च न्यायालय ने उचित आँकड़ा, संवर्ग क्षमता और वास्तविक रूप से कार्य कर रहे लोगों की क्षमता के आधार पर नये सिरे से साक्षात्कार कराये जाने का निर्देश देकर चयन प्रक्रिया को अपास्त कर दिया जो सही है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि चूंकि नियमों का उल्लंघन किया गया और संवैधानिक आदेश को भंग किया गया जैसा कि भारत संघ एवं अन्य बनाम ओ. चक्रधर **(2002) 3 एस.सी.सी. 146** में धारित

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

किया गया कि चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है और चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत नोटिस न देना आक्षेपित निर्णय की शुद्धता को प्रभावित नहीं करेगा।

15. **विद्वान अधिवक्ता श्री के. परमेश्वर** विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उ.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 और चयन प्रक्रिया अंतिम चयन सूची को भी चुनौती देकर कई रिट याचिकाएं दायर की गयी और अपीलार्थियों ने प्रमुख प्रकरण रिट याचिका (सिविल) सं. 34196 वर्ष 2015 एवं अन्य रिट याचिकाएं जैसे रिट याचिका (सिविल) सं. 38399 वर्ष 2015, रिट याचिका (सिविल) सं. 45822 वर्ष 2015, रिट याचिका (सिविल) सं. 47894 वर्ष 2015, 50878 वर्ष 2015 एवं एस.पी.एल.ए.डी. संख्या 283 वर्ष 2015 में पारित निर्णय को चुनौती दी है और अभ्यर्थियों ने अन्य रिट याचिकाओं में पारित निर्णय को चुनौती नहीं दिया है जिसको अभी भी चुनौती दिया जाना शेष है और जो प्रांगन्याय की भांति कार्य कर रहा है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने श्री गंगई विनयागर मंदिर एवं अन्य बनाम मीनाक्षी अम्मल एवं अन्य **(2015) 3 एस.सी.सी. 624** का अवलम्ब लिया है। जहां तक

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

क्षैतिज आरक्षण का प्रश्न है विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध नहीं था, उनको उर्ध्व आरक्षण से भरा गया था जो विधि और उच्चतम न्यायालय द्वारा लगातार लिये जा रहे दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि चयन प्रक्रिया में अनेक अनियमितताओं पर विचार कर उच्च न्यायालय ने लिखित परीक्षा के परिणाम को घोषणा की बाद की चयन प्रक्रिया को अपास्त कर दिया है जो सही है और आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

16. **विदवान अधिवक्ता अनिल नौरिया** ने कथन किया कि चयन हेतु नियम एवं शर्तों को विज्ञापन में प्रकाशित किया गया था और चयन हेतु अभ्यर्थियों के अधिकारों को विज्ञापन की तिथि पर मौजूदा नियमों के अनुरूप विचारित किया जाएगा। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने एन.टी.डेविन कट्टी एवं अन्य बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग एवं अन्य **(1990) 3 एस.सी.सी. 157** का अवलम्ब लिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि सामान्य कोटे के सापेक्ष डिप्लोमा धारी को समायोजित करके विभिन्न श्रेणी की रिक्तियों के अधियाचन को संशोधित करने में राज्य ने गलती किया जिससे उन अभ्यर्थियों के हित प्रभावित

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हुए जिन्होंने लिखित परीक्षा में शामिल होकर उसे पास कर लिया था। उच्च न्यायाल ने ठीक ही लिखित परीक्षा की घोषणा के बाद के चयन प्रक्रिया को अपास्त कर दिया। भारत सरकार, भारत सचिव के माध्यम से एवं अन्य बनाम रवि प्रकाश गुप्ता एवं अन्य **(2010) 7 एस.सी.सी. 626** का अवलम्ब लिया गया।

17. **विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार तिवारीः** ने हमारा ध्यान उ. प्र. लोक सेवा आयोग (रेगूलेशन ऑफ प्रोसीजर एण्ड़ कन्डक्ट ऑफ बिजनेस) अधिनियम, 1974 की ओर आकर्षित कर कथन किया कि उ.प्र. लोक सेवा आयोग के कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों के संगत होने चाहिए और विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करने वाले संशोधित कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 पोषणीय नहीं है, और उच्च न्यायालय ने इसको अपास्त कर दिया है जो सही है और चयन प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया गया और राज्य को निर्देशित किया कि वे उ. प्र. लोक सेवा आयोग को उचित आँकड़ा, संवर्ग क्षमता साथ ही साथ विभिन्न श्रेणी में कार्य कर लोगों की संख्या के आधार पर अधियाचन भेजे। के. मुखर्जी के वाद का अवलम्ब लिया गया।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

18. उक्त कथनों, आक्षेपित निर्णय एवं अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्रियों पर विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दु उत्पन्न होते हैं जिन्हें तय किया जाना है:

(i) क्या संशोधित अधियाचन दिनांकित 20.08.2014 और कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 श्रेणीवार रिक्तियों की गलत गणना का संशोधन मात्र है?

(ii) क्या संशोधित कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 भेदभाव से ग्रसित है जिसका प्रतिवादियों ने तर्क दिया है?

(iii) क्या कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 जिसमें रिक्तियों के बंटवारे को संशोधित किया गया चयन प्रक्रिया के दौरान खेल के नियमों को बदलने की कोटि में आएगा?

(iv) श्रेणीवार रिक्तियों के संशोधन की पूर्ण जानकारी रखकर और साक्षात्कार में भाग लेने के उपरान्त क्या असफल –अभ्यर्थीगण प्रत्यर्थीगण–हस्तक्षेपकर्तागण सफल अभ्यर्थियों के चयन को चुनौती देने से बाधित हो जाते हैं?

(v) जब डिप्लोमा धारकों को नियमतीकरण को वर्ष 2015 में दायर रिट याचिकाओं में चुनौती नहीं दिया गया था तब क्या उच्च न्यायालय डिप्लोमा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

धारकों को नियमतीकरण की वैधता पर विचार करने और सामान्य कोटा से सापेक्ष डिप्लोमा धारियों के समायोजन के संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने पर सही था?

(vi) क्या श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या का संशोधित अधियाचन सामान्य/अनारक्षित अभ्यर्थियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हुआ है जिसका प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया है ?

(vii) क्या 906 अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए निर्देश प्राप्त करने के हकदार हैं?

संशोधित अधियाचन दिनांकित 20.08.2014 और कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 जिसमें उ.प्र. आरक्षण अधिनियम,1994 एवं उ. प्र. अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली,1993 (उ. प्र. सेवा नियमावली, 1993) से संगत विभिन्न श्रेणियों में संशोधित रिक्तियों की संख्या का विज्ञापन दिया गया।

19. टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड–III का पद तृतीय श्रेणी का पद है जो कृषि सेवा नियमावली, 1993 से शासित होता है। इन पदों की पुनः रचना की गयी जो

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

25.10.2017 से प्रभावी था। उक्त पदों का वेतनमान 3200–4900 तय किया गया और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड–III के कुल 10531 पद स्वीकृत किये गये। इन पदों की पुनर्रचना के बाद रिक्तियों के विवरण पर कार्य किया गया जिसमें यह पाया गया कि 10531 पद स्वीकृत किये गये थे जिसमें से 5860 व्यक्ति कार्य कर रहे थे। इस आधार पर कुल 4671 रिक्तियां निर्धारित की गयीं , और शासकीय आदेश दिनांकित 05.03.2002 के अनुसार 2% रिक्तियों की संख्या घटाने पर कुल पदों की संख्या 4578 दर्शित कर दिनांक 03.10.2012 को उ. प्र. लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया। इसके उपरान्त कुल 2092 पद बढ़ गये जिसमें से शासकीय आदेश दिनांकित 05.03.2002 के अनुसार 2% घटा दी गयी थीं और अधियाचन दिनांकित 30.04.2013 द्वारा एक अधियाचन भेजा गया जिसमें 2050 बढ़े हुए पद दशित थे उसमें से ओ.बी.सी. कोटा के सापेक्ष कुल रिक्तियां 554 थीं। पूर्व अधियाचन दिनांकित 03.10.2012 में ओ.बी.सी. कोटा के सापेक्ष कुल रिक्तियों की सख्या 12 थीं। इस प्रकार दूसरे अधियाचन में ओ.बी.सी. कोटा के सापेक्ष कुल रिक्तियों की संख्या 554+ 12= 566 दर्शित थी।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

20. कृषि विभाग ने वर्ष 2013 की मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए रिक्तियों को निर्धारित कर राज्य सरकार को भेज दिया। तदनुरूप राज्य सरकार ने उ.प्र. सरकार को कुल 6628 पदों काअधियाचन भेजा जिसमें से सामान्य श्रेणी के लिए 3616 एस.सी. के लिए 2211 तथा एस.टी. के लिए 235 और 566 पद ओ.बी.सी को लिए दर्शित थे तदनुरूप उ. प्र लोक सेवा आयोग ने दिनांक 22.10.2013 को विज्ञापन जारी किया।

21. इन रिक्तियों के विज्ञापन जारी होने के बाद उ. प्र. पिछड़ा आयोग के समक्ष एक परिवाद दायर किया गया जिसमें शिकायत की गयी कि अ.पि.व. की आरक्षत श्रेणी में वास्तविक रिक्तियों को दर्शाने के बजाय 566 पदों को विज्ञापन में दिखाया गया है। इस परिवाद पर कृषि विभाग तथा उ. प्र. लोक सेवा आयोग से उक्त परिवाद का जवाब मांगा गया। इसके उपरानत कृषि विभाग ने जांच की और पाया कि श्रेणीवार रिक्तियों की गलत गणना के चलते पूर्व अधियाचन में संशोधन किया जाना अपेक्षित था। प्राधिकारी के निर्देश पर की जांच में यह पाया गया कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की गलत गणऩा कर पदो की संखया 2622 दिखाया गया जबकि वास्तव में 1749 कर्मचारी (979 अ.पि.व. एवं 770 अन्य) शामिल

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

किये गये थे चूंकि उन्होंने वर्ष 1981 का राजकीय कृषि विद्यालय से डिप्लोमा किया था उनकी भी गणना सामान्य श्रेणी के सापेक्ष किया जाना अपेक्षित था।

22. राजकीय कृषि विद्यालय, बुलंदशरहर, राजकीय कृषि विद्यालय, चरगवाँ–गरखपुर राजकीय कृषि विद्यालय, झाँसी कृषि विभाग द्वारा संचालित थे। ये विद्यालय दो वर्षीय कृषि प्रसार डिप्लोमा प्रदान कर रहे थे और जिन अभ्यर्थी 1981–1987 के दौरान डिप्लोमा किया था उन्हें बिना किसी चयन के नियुक्त किया जा सकता था। हालांकि फिर भी कृषि सेवा नियमावली, 1993 के प्रवर्तन के पश्चात चूंकि1981–1987 के दौरान जिन अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा किया था उन्हें नहीं नियुक्त किया जा सका इसलिए निदेशालय ने अपने पत्र दिनांकित 22.01.1998 द्वारा राज्य सरकार से दिशा निर्देश दिये जाने की मांग किया है। राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 04.06.198 के द्वारा छूट प्रदान कर 1822 डिप्लोमा धारियों को नियुक्त किये जाने को निर्देशित किया जिसमें से 1749 वर्ष 1998 तक ज्वाइन कर चुके थे। चूंकि रिक्तियों के निर्धारण के समय जिन अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को कृषि डिप्लोमा प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्त किया गया था उनकी गणना अ.पि.व. श्रेणी में रिक्ति के सापेक्ष की गयी जबकि ऐसा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

करना अपेक्षित नहीं था इसलिए यह गणना गलत है। पूर्व में जो अधियाचन भेजा गया उसमें अ .पि.व. के सापेक्ष 566 रिक्तियां थी जबकि वास्तव में इसमें2030 रिक्तियां होनी चाहिए थी क्योंकि सभी डिप्लोमाधारियों को सामान्य श्रेणी के सापेक्ष नियुक्त किया गया था न कि अ.पि.व. के सापेक्ष नियुक्त किया गया था। विभाग के अनुसार बाद में भेजा गया अधियाचन पूर्व में किये गये गलती का सुधार मात्र था। विज्ञापन के दिन अ.पि.व. की वास्तविक रिक्ति 2030 थी किन्तु विभाग की गलत गणना के चलते 566 रिक्तियों का विज्ञापन निकाला गया।

23. यह अ.पि.व. के कोटा में गलत गणना के चलते हुआ, पूर्व अधियाचन में अ.पि.व. के सापेक्ष .. रिक्तियों का अधियाचन भेजा गया, जबकि वास्तव में अ.पि.व. के कोटा के सापेक्ष रिक्तियों की संख्या .. चाहिए। इस संदर्भ में, विभाग ने विभिन्न श्रेणियों की रिक्तियों की संख्या पर पुनः मंथन कर संशोधित अधियाचन भेजा जो इस प्रकार हैः

कुल स्वीकृत पद	50% सामान्य	21% अनुसूचित	2% अनुसूचित	27% अन्य

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

	श्रेणी	जाति	जनजाति	पिछड़ा वर्ग
10559	**5280**	**2217**	**211**	**2851**
कार्यरत कर्माचरी– 3796	**2713**	**297**	**6**	**780**
रिक्त पद –6763	**2567**	**1920**	**205**	**2071**
शासकीय आदेश के अनुसार 2% कटौती के उपरान्त रिक्त पद– 6628	**2515**	**1882**	**201**	**2030**

24. वैयक्तिक विभाग की राय लेने के उपरान्त प्रथम प्रत्यर्थी ने आदेश दिनांकित ... द्वारा प्रायोज्य कृषि सेवा नियमावली एवं भेजे गये संशोधित अधियाचन के अनुरूप विभिन्न श्रेणी के लिए व्यक्तियों के लिए रिक्तियों का अनुमोदन कर अधियाचन भेजा जो इस प्रकार हैः

विज्ञापन संख्या	अधीनस्थ कृषि सेवा , संवर्ग–III में रिक्तियां (टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप–सी)

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

शासकीय आदेश संख्या 941/12-04-14-1992/2014 दिनांक 20.08.2014 **कुल रिक्तियों की सख्याः 6628**	**सामान्य** **2515**	**अनुसूचित जाति** **1882**	**अनुसूचित जनजाति** **201**	**अन्य पिछड़ा वर्ग** **2030**

उक्त शासकीय आदेश दिनांक 20.08.2014 के आधार पर कृषि विभाग ने अपने पत्र सं. ए.सी./101 दिनांकित 20.08.2014 द्वारा उ.प्र. लोक सेवा आयोग को उपरोक्त संशोधित अधियाचन भेजा। राज्य सरकार के अनुसार सभी संबंधित विभागों कार्मिक विभाग और प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधियों की मीटिंग के बाद ही श्रेणीवार रिक्तियों की स्थिति में परिवर्तन किया गया और यह पाया गया कि पूर्व में श्रेणीवार रिक्तियों की गलत गणना भेजी गयी थी जिससे कृषि विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड-III के कुल संवर्ग क्षमता में प्रत्येक श्रेणी के कुल प्रतिनिधित्व में असंगतता की परिणति संभाव्य थी। इसलिए प्रशासनिक विभाग ने

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिनांक 20.08.2014 को संशोधित अधियाचन निदेशक, कृषि को भेजा जिनको बदले में निर्देश हुआ कि वह इस मामले को उ.प्र. लोक सेवा को संसूचित करें।

25. दिनांक 15.09.2014 को जारी लिखित परीक्षा का परिणाम केवल उक्त संशोधित अधियाचन पर आधारित था। जो लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया वह पदों के संशोधित अधियाचन पर आधारित था। उ. प्र. लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के संशोधित अधियाचन दिनांकित 20.08.2014 अनुरूप कार्य किया। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाये जाने से पूर्व विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या को संशोधित कर उ. प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 जारी किया गया। इस प्रकार उ. प्र. लोक सेवा आयोग राज्य सरकार द्वारा भेजे गये अधियाचन से परे नहीं गया।

26. राज्य सरकार ने संशोधित अधियाचन के माध्यम से उ. प्र. लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जानि, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुरूप आरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। मूल विज्ञापन में सामान्य श्रेणी के सापेक्ष 3616 पदों का और अ.पि.व. श्रेणी के सापेक्ष

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

566 पदों का विज्ञापन दिया गया था जो अ.पि.व. के तय प्रतिशत से काफी कम था। उ. प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(1) के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का विनिर्दिष्ट प्रतिशत आरक्षित किया गया है।उ. प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 का धारा 3 इस प्रकार हैः

3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को मिला आरक्षणः–

(1) लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के स्तर पर आरक्षण का प्रावधान होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुरूप भर्ती की जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत निम्नलिखित हैः–

(a) अनुसूचित जाति– 21 प्रतिशत
(b) अनुसूचित जनजाति– 2 प्रतिशत
(c) अन्य पिछड़ा वर्ग– 27 प्रतिशत

बशर्ते उपखण्ड़ (c) के तहत आरक्षण अनुसूची II में निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों पर लागू नहीं होगा।

आगे प्रतिबंध यह है कि सभी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किसी भी वर्ष की भर्ती में उस वर्ष की कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नहीं होगी और जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है उसकी भी संवर्ग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(2) यदि किसी वर्ष की भर्ती के संदर्भ में, उपधारा (1) के तहत किसी भी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति नहीं भर पाती है तब ऐसी रिक्ति अग्रेसित कर दिया जाएगा और इसको उस वर्ष विशेष भर्ती अथवा अगले वर्ष अथवा विशेष वर्ग की रिक्ति के रूप में भर्ती वर्षों के माध्यम से भरी जाएंगी। ऐसे वर्ग की रिक्तियों को उस वर्ष की रिक्तियों को जिस वर्ष यह भरी गयी हैं, और उस वर्ष की कुल रिक्ति के पचास प्रतिशत आरक्षण के बन्ध को निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए भी विचारित किया जाएगा।

27. उ. प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 4 दण्ड़ का प्रावधान करती है। धारा 5 उपबंधित करती है कि *कोई नियुक्ति प्राधिकारी अथवा अधिकारी को धारा 4 (1) के तहत जिम्मेदारी दी जाती है तो यदि वह शासय इस अधिनियम के उद्देश्यों के साथ छेड़छाड़ करता है अथवा विफल करने का कार्य करता है तो दोषसिद्धि पर तीन माह के कारावास या कारावास से दण्ड़ित किया जाएगा। .....* उ. प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 2(अ) के अनुसार, लोक सेवा अथवा पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत ऐसे प्राधिकारी से है जिसे ऐसी सेवाओं अथवा पदों में नियुक्ति हेतु सशक्त किया गया है।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

29. जैसा कि पूर्व में बताया गया है तकनीकी सहायक वर्ग –3 का पद कृषि सेवा नियमावली,1993 से शासित होता है। इस नियमावली के नियम 15 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी उस वर्ष भरी जाने वाली रिक्तियों संख्या को नियम 6 के तहत एस.सी. एस.टी. अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित करेगा। नियम 15 इस प्रकार हैः–

> **15. <u>रिक्तियों का निर्धारण</u>**
> भर्ती प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेगा और नियम 6 के तहत एस.सी., एस.टी. और अन्य वर्गों के लिए रिक्तियों की संख्या भी निर्धारित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों को उस समय प्रचलित नियमों और आदेशों के अनुसार आयोग को सूचित करेगा अथवा रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया जाएगा।

कृषि सेवा निमयमावली, 1993 का नियम 6 शर्त आरोपित करता है कि एस.सी. एस.टी. अ.पि.व. को आरक्षण नियुक्ति के समय शासकीय आदेश के अनुरूप दिया जाए। इस प्रकार कृषि सेवा निमयमावली, 1993 से स्पष्ट से यह शर्त आरोपित करता है कि नियुक्ति प्राधिकारी उस वर्ष भरे जाने वाले पदों को निर्धारित

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

और नियम 6 के तहत के एस.सी. एस.टी अ.पि.व के रिक्तियों की संख्या का भी निर्धारण करें। श्रेणीवार रिक्तियों की गलत गणना का पता चलने पर प्राधिकारी गलत गणना में सुधार करने और उसे उ. प्र. आरक्षण अधिनियम, 1993 और कृषि सेवा निमयमावली, 1993 के अनुरूप संशोधित अधियाचन भेजने के लिए सशक्त हैं।

30. *आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य* (1995) 2 **एस.सी.सी. 745** के मामले में उच्चतम न्यायलय ने इस सुस्थापित सिद्धान्त को दोहराकर अभिनिर्णीत किया कि आरक्षण का प्रतिशत को पदों की संख्या के संबंध में तय किया जाना चाहिए जिससे संवर्ग क्षमता का निर्माण होता है, यह सिद्धान्त प्रकार है:–

> 6. कार्यकारी निर्देशों में सामान्य तौर पर *प्रयुक्त* अभिव्यक्ति पद और रिक्तियां जो आरक्षण का उपबंध करती है वह समस्यात्मक है। पद का अर्थ है नियुक्ति नौकरी, कार्यालय, रोजगार जिस पद किसी व्यक्ति की नियुक्त की जाती है। रिक्ति का अर्थ है खाली पद अथवा कार्यालय। इसका सीधा मतलब यह स्पष्ट करता है कि रिक्ति के होने के लिए पद का होना अनिवार्य है। संवर्ग क्षमता हमेशा पदों की संख्या से मापी जाती है जिसमें संवर्ग शामिल है। नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के अधिकार का दावा केवल संवर्ग में पदों के संबंध में ही किया जा सकता है।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

परिणामस्वरूप आरक्षण के प्रतिशत से संबंधित समस्या का समाधान संवर्ग क्षमता का गठित करने वाली पदों की संख्या के संबंध किया जाना चाहिए। आरक्षण के प्रतिशत को तय करने में रिक्ति के अवधारणा का कोई महत्व नहीं है।

31. अभिलेख पर मौजूद सामाग्री से पता चलता है कि कुल स्वीकृत पद 10599 है जिसका एस.सी. कोटे का 21 प्रतिशत 2217 पद होता है जिसमें से 297 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जो एस . सी. कोटे के 2.81 प्रतिशत है। शेष रिक्त पद 1920 है जो 18.18 प्रतिशत है और शासकीय आदेशानुसार 2 प्रतिशत की कटौती करने पर एस. सी. कोटे के सापेक्ष 1882 पदों के लिए संशोधित अधियाचन जो कि 18.18 प्रतिशत है, भेज दिया गया। इसी प्रकार कुल उत्कीर्ण 10599 पदों में से 2 प्रतिशत एस.टी. के सापेक्ष से 211 पद थे और कार्य कर लोगों की संख्या 6 है जो 0.05 प्रतिशत है। 205 में से शेष बचा पद 1.94 प्रतिशत है, और शासकीय आदेशानुसार 2 प्रतिशत की कटौती के उपरान्त एस.टी. कोटे के 201 पदों का संशोधित अधियाचन भेजा गया। जहां तक 27 प्रतिशत अ.पि.व. का संबंध है जो 10599 पदों में 2851 पद होता है और कार्य कर रहे लोगों की संख्या 780 है जो 7.38 प्रतिशत है और बचा हुआ 2071 पद 19.61 प्रतिशत है। इसी प्रकार 2713 कर्मचारी सामान्य श्रेणी के सापेक्ष कार्य

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कर रहें हैं जो 25.69 प्रतिशत है और 50 प्रतिशत कोटा को पूरा करने के लिए अपेक्षित पद 2567 यानी 24.31 प्रतिशत है। यह निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से अच्छे से स्पष्ट किया जा सकता है:–

कुल स्वीकृत पद	50% सामान्य श्रेणी	21% अनुसूचित जाति	2% अनुसूचित जनजाति	27% अन्य पिछड़ा वर्ग
10559	**5280**	**2217**	**211**	**2851**
कार्यरत कर्माचरी– 3796	**2713** **(25.69%)**	**297** **(2.81%)**	**6** **(0.05%)**	**780** **(7.38%)**
रिक्त पद –6763	**2567** **(24.31%)**	**1920** **(18.18%)**	**205** **(1.94%)**	**2071** **(19.61%)**
शासकीय आदेश के	**2515**	**1882**	**201**	**2030**

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अनुसार 2% कटौती के उपरान्त रिक्त पद – 6628	(23.81%)	(17.82%)	(1.90%)	(19.22%)

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि संशोधित अधियाचन उ . प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए है। उच्च न्यायालय द्वारा इस परिप्रेक्ष्य का भी उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है।

32. अ.पि.व. श्रेणी में 2030 रिक्तियों की संख्या का संशोधन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि विधानमंडल ने आरक्षण का प्रावधान करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) को ध्यान में रखकर आरक्षण अधिनियम, 1994 संख्यांक 4 पारित कर दिया है। अधियाचन को संशोधित कर प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु आरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य ने सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रति बिना पूर्वाग्रह के रिक्तियों पर कार्य किया है। इस प्रकार उ. प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 के उद्देश्यों को प्राप्त

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

करने के लिए राज्य द्वारा संशोधित अधियाचन उसकी शक्ति की सीमा में था। इसके अतिरिक्त जैसा कि अभ्यर्थियों ने तर्क दिया है रिक्तियों की कुल संख्या में तो परिवर्तन किया गया है और नही ही संशोधन, वह सही है।

33. समुचित प्राधिकारी ने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड–III की संवर्ग क्षमता को उस वर्ष रोस्टर संचालन में यह अवधारित करने के लिए कि क्या दिये गये समूह अथवा वर्ग का सेवा में समुचित प्रतिनिधित्व है, एक ईकाई के तौर पर लिया है। कृषि विभाग द्वारा जारी संशोधित अधियाचन दिनांकित 20.08.2014 राज्य की शक्ति की सीमा में था। इसके अतिरिक्त कुल 6628 रिक्तियों को न तो परिवर्तित किया गया और न ही संशोधित किया गया है।

34. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है , श्रेणीवार रिक्तियों की स्थिति में परिवर्तन सभी संबंधित विभागों, जिसमें कार्मिक विभाग तथा प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे, की मीटिंग हो जाने के उपरान्त किया गया और यह पाया गया कि पूर्व में श्रेणीवार रिक्तियों की गलत गणना भेजी गयी थी। यदि मूल अधियाचन दिनांकित 22.10.2013 को पुनः प्राप्त करना होता तो इससे श्रेणीवार

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

रिक्तियों में अनियमितता उत्पन्न हो जाती जिसके उ . प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधान भंग हो जाते। इसलिए दिनांक 22.10.2013 प्राशासनिक विभाग ने कृषि निदेशक को संशोधित अधियाचन भेजा जिन्होंने बदले में इसको उ. प्र. लोक सेवा आयोग को संसूचित कर दिया। विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों की रिक्तियों संशोधित अधियाचन किसी भी नियम को भंग नहीं करता है, दूसरी तरफ, यह संशोधन विभिन्न श्रेणी में रिक्तियों की गणना में सुधार करने और उ . प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण के अपेक्षित कोटा का पालन करने के है। उच्च न्यायालय द्वारा इस पक्ष का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया।

35. आक्षेपित निर्णय के प्रस्तर 68 में यद्यपि उच्च न्यायालय ने धारित किया कि सरकार को संवर्ग क्षमता को उस वर्ष रोस्टर संचालन में यह अवधारित करने के लिए कि क्या दिये गये समूह अथवा वर्ग का सेवा में समुचित प्रतिनिधित्व है, एक ईकाई के तौर पर लिया है, लागू करना होगा। संशोधित अधियाचन दिनांकित 20.08.2014 और उ. प्र लोक सेवा आयोग का कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 केवल उ. प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 का अनुपालन करने

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिया गया था और यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रेणीवार रिक्तियों का उल्लंघन न हो जिसको उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया।

<u>डिप्लोमाधारियों का समायोजन</u>

36. इस निर्णय के प्रस्तर 68 में उच्च न्यायलय ने अवलोकन किया कि सम्पूर्ण छल कपट डिप्लोमा धारी की आड़ में घटित हुआ है जिसमें वर्ष 1998 में उस विभाग में 1749 डिप्लोमा धारी समायोजन/नियमितीकरण किया गया और सामान्य श्रेणी के सापेक्ष डिप्लोमा धारी को रखने का कोई अवसर नहीं था और रिक्तियों के समायोजन की आड़ में पूरे खेल को बदल दिया गया और इस प्रकार सामान्य श्रेणी की सम्पूर्ण रिक्तियों को हड़प लिया गया है। उच्च न्यायलय ने अभिनिर्णीत किया कि डिप्लोमा धारी को सामान्य श्रेणी के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जाना चाहिए था ताकि सामान्य श्रेणी के तहत विज्ञापित पदों की संख्या में बदलाव न हो।

37. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, जो पूर्व अधियाचन भेजा गया था उसमें अ.पि.व. के सापेक्ष केवल 566 रिक्तियां दर्शित थीं जबकि वास्तव में इसे 2030

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

होना चाहिए था, चूंकि सभी डिप्लोमा धारी अ.पि.व. में न नियुक्त कर सामान्य श्रेणी के सापेक्ष नियुक्त किया गया था। इस संदर्भ में , हम उपनिदेशक, कृषि (प्रशिक्षण) द्वारा दिनांक 17.03.2015 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत शपथपत्र का संदर्भ देना चाहेगें जो उपयोगी साबित हो सकता है, वह इस प्रकार हैः–

> "....राजकीय कृषि विद्यालय , बुलंदशहर ; राजकीय कृषि विद्यालय, चरगवाँ गोरखपुर ; राजकीय कृषि विद्यालय, झांसी का संचालन कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा था। ये विद्यालय दो वर्षीय कृषि डिप्लोमा प्रदान कर रहा था और जिन व्यक्तियों 1981–1987 के बीच डिप्लोमा किया था उन्हें बिना किसी चयन के सीधे नियुक्त किया जा सकता था। फिर भी कृषि सेवा नियमावली , 1993 लागू होने के बाद जिन व्यक्तियों 1981–1987 के बीच डिप्लोमा किया था उन्हें नहीं नियुक्त किया जा सका , इसलिए निदेशालय ने पत्र दिनांकित 22–01–1998 के माध्यम से राज्य सरकार से दिशा–निर्देश मांगा है। राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 04–06–1998 द्वारा छूट प्रदान कर उन 1882 डिप्लोमा धारी की नियुक्ति हेतु निर्देश दिया जिसमें से 1749 ने 1998 तक ज्वाइन कर लिया था। चूंकि रिक्तियों के निर्धारण के समय अ.पि.व. के जिन अभ्यर्थियों को कृषि डिप्लोमा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

धारी के चलते नियुक्त किया गया था उनकी भी गणना अ.पि.व. के सापेक्ष कर लिया गया जबकि उनकी गणना अ .पि.व. के सापेक्ष अपेक्षित नहीं थी, इसलिए गलत गणना कारित हुई।
जो पूर्व अधियाचन भेजा गया था उसमें अ.पि.व. के सापेक्ष केवल 566 रिक्तियां दर्शित थीं जबकि वास्तव में इसे 2030 होना चाहिए था, चूंकि सभी डिप्लोमा धारी अ.पि.व. में न नियुक्त कर सामान्य श्रेणी के सापेक्ष नियुक्त किया गया था। बाद का अधियाचन पूर्व में किये गये गलती का सुधार मात्र था। विज्ञापन की तिथि पर अ.पि.व. के वास्तव में कुल 2030 पद रिक्त थे जबकि गलत गणना के चलते 566 पदों का विज्ञापन दिया गया....."

38. वर्ष 1998 में डिप्लोमा धारी के समायोजन के समय संबंधित विभाग में अ.पि.व. के आरक्षण हेतु कोई प्रावधान नहीं था; केवल उ. प्र. आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के बल पर संबंधित विभागों तक आरक्षण को बढ़ाया किया गया इसलिए डिप्लोमा धारी को सामान्य श्रेणी के सापेक्ष विचार करना होगा। जैसा की उपनिदेशक, कृषि (प्रशिक्षण) द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र से विदित होता है कि डिप्लोमा धारी की गणना अ.पि.व. के सापेक्ष अपेक्षित नहीं थी;गलत गणना के

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

चलते उनको अ.पि.व. के सापेक्ष समायोजित कर लिया गया है जो विधि में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरक्षण भूतलक्षी प्रभाव नहीं प्रदान किया जा सकता है।

संशोधित अधियाचन के माध्यम से राज्य ने इस गलती को सुधारने की सुधार की मांग की जिसके परिणामस्वरूप सामान्य श्रेणी के सापेक्ष उपलब्ध रिक्तियों की संख्या में बदलाव हुआ। इस सुधार को करने में सरकार गलत नहीं है और इस आधार पर आक्षेपित विज्ञापन को वापस लेकर नया विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है। हमारे विचार में उच्च न्यायलय को इस मामले में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि सामान्य श्रेणी के सापेक्ष रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन केवल सामान्य श्रेणी में डिप्लोमा धारी के समायोजन और अ.पि.व रिक्तियों के सापेक्ष समायोजन की गलती के सुधार के चलते हुआ।

क्या कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 जिसमें श्रेणीवार रिक्तियों की समीक्षा की गयी, चयन प्रक्रिया के शुरू होने के उपारान्त खेल के नियमों को बदलने की कोटि में आता है।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

39. उच्च न्यायलय ने धारित किया कि दिनांक को अधियाचन देने के बाद रिक्तियों की श्रेणी में बदलाव चयन प्रक्रिया के उपरान्त खेल के नियमों को बदलने की कोटि में आएगा, यह स्वीकार्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने *मदन मोहन शर्मा बनाम अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य* (2008) 3 एस.सी.सी. 724 का अवलम्ब लिया। प्राइवेट प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि विभिन्न श्रेणी की रिक्तियों में परिवर्तन अवैध है और यह चयन प्रक्रिया के मध्य में खेल के नियमों में बदलाव करने की कोटि में आता है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने *हिमानी मल्होत्रा बनाम के. मंजूश्री* का अवलम्ब लिया।

40. के. मंजूश्री के मामले में इस अपील का मुख्य विषय विज्ञापन दिनांकित 28.05.2004 अनुसरण में आन्ध्र प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रेड (II) के दस पदों पर चयन था। चयन का आधार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार था। साक्षात्कार को पास करने के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं था। चयन प्रक्रिया पूरी करने के उपरान्त साक्षात्कार कमेटी ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जिसको प्रशासनिक कमेटी ने अनुमोदित

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

किया। जब यह मामला पूर्ण पीठ के समक्ष रखा गया तब पूर्ण पीठ ने मुख्य न्यायाधीश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रेड (II) के पद नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के लिए न्यायमूर्तियों वाली एक कमेटी गठित करने के लिए प्राधिकृत किया। तदनुरूप मुख्य न्यायमूर्ति ने दो न्यायमूर्तियों वाली एक उप–कमेटी गठित की जिसने साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक विहित करते हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नयी सूची तैयार की। उप–समिति का यह मत था कि लिखित परीक्षा में न्यूतम कट ऑफ अंक को लागू करने के अलावा इसे साक्षात्कार में भी लागू किया जाना चाहिए, और जो अभ्यर्थी इस कट–ऑफ को न प्राप्त कर पायें उन्हें असफल घोषित कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उप–समिति ने नयी मेरिट सूची तैयार की। उन तथ्यों और परिस्थितियों में उच्चतम न्याायलय ने उस चयन सूची को अपास्त कर दिया और कहा कि जब सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूरी हो गयी हो साक्षात्कार के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक का तय किया चयन प्रक्रिया के लगभग पूरी हो जाने के उपरान्त खेल के नियमों को बदलने की कोटि में आता है, जो स्वीकार्य नहीं है।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

41. हिमानी मल्होत्रा के मामले में दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के लिखित परीक्षा का परिणाम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया गया था और याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया था जिसमें उनको साक्षात्कार के लिए चयन की सूचना दी गयी। पांच अभ्यर्थियों को विभिन्न तिथियों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उनकों इस तिथि के स्थगित किये जाने की सूचना दी गयी जैसे 20.09.2006 को होने वाले साक्षात्कार को बाद में 29.11.2006, 07.12.20006, 23.01.2007, 05.02.2007 तिथियों को बदला गया और अन्त में 27.02.2007 को कराया गया। इसी बीच 13.12.2006 को पूर्ण पीठ के प्रस्ताव द्वारा सामान्य/अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत तथा एस.सी. एवं एस.टी. के लिए 50 साक्षात्कार हेतु न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित किया गया। इन तथ्यों और परिस्थितियों में न्यूनतम कट ऑफ अंक खारिज कर दिया गया क्योंकि इससे चयन प्रक्रिया के दौरान खेल के नियम बदल जाते है। प्रारम्भ में लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित किया गया था न कि साक्षात्कार के लिए। साक्षात्कार के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक को लिखित परीक्षा होने के उपरान्त विहित किया गया जिसे अस्वीकार्य घोषित कर दिया गया।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

42. यह मामला उन मामलों से से अलग है जहां पर चयन प्रक्रिया पूरी/शुरू होने के उपरान्त कट–ऑफ अंक तय कर चयन प्रक्रिया की रीति को बदला गया, जबकि वर्तमान मामले में उ. प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों के सापेक्ष प्रतिशत आरक्षण को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या की केवल गलत गणना को सुधारा गया था। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि खेल के नियम में बदलाव किया गया। योग्यता मानक में बदलाव नहीं किया गया।

43. यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विधि का सिद्धान्त कि खेल के नियमों को चयन प्रक्रिया के शुरु हो जाने के बाद नहीं बदला जा सकता है इस बात को *तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य* **(2013) 4 एस.सी.सी. 450** पुनः विचार हेतु वृहद पीठ संदर्भित कर दिया गया है। तेज प्रकाश के मामले में जब इस मामले को वृहद पीठ के पास संदर्भित किया गया कि तब उच्चतम न्यायालय ने 'खेल के नियमों में बदलवाल' की परिधि की व्याख्या की जो इस प्रकार हैः–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"11. वे मामले जो ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां पर राज्य ने निम्नलिखित में बदलाव चाहा (1) रोजगार की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के योग्यता मानक, अथवा (2) समुचित अभ्यर्थी को चयन करने का ढ़ंग। बाद वाले को चयन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया की संज्ञा दी गयी, जैसे, अभ्यर्थी द्वारा लिखित अथवा साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त किये जाने वाले न्यूनतम कट–ऑफ अंक विहित करना जैसा कि के. मुखर्जी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (2008) 3 एस.सी.सी. 512 मामले में किया गया अथवा रोजगार की प्रकृति से संबंधित परीक्षा से गुजरने के लिए अभ्यर्थियों को बुलाना (जैसे कि *महाराष्ट्र एस.आर.टी.सी. बनाम राजेन्द्र भीमराव मंडेव* 2001 10 एस.सी.सी. 51 के मामले में ड्राइविंग टेस्ट हेतु अभ्यर्थियों को बुलाया गया)

15. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक कल्याणकारी सिद्धान्त है जो राज्य और इसकी मशीनरी को खेल के नियमों में बदलाव करने की अनुमति नहीं देता है। जहां तक योग्यता मानक को लागू किये जाने का प्रश्न है तो ऐसा सी. चन्नाबासवै बनाम मैसूर राज्य ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1293 के मामले में चयन प्रक्रिया और इसके परिणाम में छेड़छाड़ से बचने के लिए किया गया। क्या

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ऐसे सिद्धान्त को खेल के नियमों में बदलाव के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए ."

44. जैसा कि पूर्व में चर्चा किया गया है, वर्तमान मामला *के. मुखर्जी* (उपरोक्त) और *हिमानी मल्होत्रा* (उपरोक्त) से पूरी तरह अलग है। डिप्लोमा धारी को अ.पि.व. की रिक्तियों के सापेक्ष गलत तरीके से गनती कर ली गयी; जबकि उनकी गणना अ.पि.व. के सापेक्ष नहीं किया जा सकता था और ऐसा करके गलत गणना की गयी और डिप्लोमा धारी को सामान्य श्रेणी के सापेक्ष गिनती कर इसको सुधारना होगा।

45. यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि विज्ञापन दिनांकित 22.10.2013 में निर्देश संख्या 7 अनुबंधित करता है कि रिक्तियों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। कृषि सेवा नियमावली, 1993 स्पष्ट रूप से अनुबंधित करता है यह राज्य सरकार का विशेषाधिकार है कि वह नियमों के मुताबित रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करे। कृषि सेवा नियमावली, 1993 के नियम 15 अनुसार, भर्ती प्राधिकारी नियम 6 के तहत एस.सी., एस.टी., अ.पि.व. श्रेणी के लिए रिक्तियों की

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

संख्या को निर्धारित करेगें। नियम 6 अनुबंधित करता है कि एस.सी., एस.टी., अ.पि.व. को आरक्षण सरकारी आदेश के मुताबित प्रदान किया जाएगा जो नियुक्ति के समय प्रासांगिक हो।

46. कृषि सेवा नियमावली, 1993 का नियम 15(3) सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का उपबंध करता है यह ध्यान रखते हुए कि नियम 6 के तहत अपेक्षित आरक्षित श्रेणी की रिक्ति को ध्यान में रखकर लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के उपरान्त और प्रत्येक श्रेणी के समुचित प्रतिनिधित्व के लिए कुल रिक्ति का तीन गुना साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार सामान्य श्रेणी के लिए कुल विज्ञापित पदों की संख्या पर 3616*3= 10848 अभ्यर्थी कृषि सेवा नियमावली, 1993 का नियम 15(3) के तहत साक्षात्कार हेतु पात्र थे।

47. इस आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायलय ने अवलोकन किया सामान्य श्रेणी की सीटों में कमी करके सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के अवैध रूप से साक्षात्कार में शामिल होने से वंचित किया गया। उच्च न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अ.पि.व. की सीटों को बढ़ाकर साक्षात्कार के लिए अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया गया भले ही विज्ञापन दिनांकित 22.10.2013 के अनुसार वे पात्र नहीं थे, इस प्रकार प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करने से उन अभ्यर्थियों के प्रति महान पूर्वाग्रह कारित हुआ जिनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

> "... इस प्रकार सामान्य श्रेणी के लिए कुल विज्ञापित पदों की संख्या पर यानी 3616*3= 10848 कृषि सेवा नियमावली, 1993 का नियम 15(3) के तहत साक्षात्कार हेतु पात्र थे। फिर भी, पत्र दिनांकित 20.08.2014 द्वारा पदों की संख्या को घटाकर, 2515*3= 7545 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, इस प्रकार 10848– 7545= 3303 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होने से अवैध रूप से वंचित रह गये। हालांकि अ.पि.व. में केवल 566 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया जिसके सापेक्ष केवल 1698 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होने के लिए पात्र है। फिर भी रिक्तियों की संख्या 2030 अवैध रूप से बढ़ाकर 6090 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। इस प्रकार अ.पि.व. में 6090–1698= 4392 अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया, भले ही वे विज्ञापन दिनांकित 22.10.2013 के अनुसार साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं थे। इस प्रकार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करने से कृषि सेवा नियमावली, 1993

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

> का नियम 15(3) का उल्लंघन होता है। विज्ञापन के लंबन के दौरान और इस प्रकार 3303 सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल भी न होने देना और अ.पि.व. के 4392 अधिक अभ्यर्थियों को चयन हेतु विचार में लेना चयन प्रक्रिया के दौरान खेल के नियम बदलने की कोटि में आता है। ... "

48.हमने इस मामले में सावधानीपूर्वक विचार किया और उच्च न्यायालय इस दृष्टिकोण से कि रिक्तियों में संख्या में परिवर्तन कर 3303 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होने से अवैध रूप से रोक कर और अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया था, हमारा संयम खो जाता है। इसका भी उल्लेख किया जाए कि रिट याचिकाएं साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गयी जो असफल हो गया थे। यह ज्ञात नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता/अभ्यर्थियों ने कितने अंक प्राप्त किये थे और योग्यता सूची उनकी क्या स्थिति थी। रिट याचिका दायर करने वाले असफल अभ्यर्थियों ने यह नहीं बताया कि सामान्य श्रेणी अ .पि.व. श्रेणी के रिक्तियों में परिवर्तन से कैसे वह पूर्वाग्रह रूप से ग्रसित हुए। उच्च न्यायालय व्यापक निष्कर्ष निकालने में सही नहीं था कि सामान्य श्रेणी के सापेक्ष रिक्तियों की

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

संख्या में घटाने से 3303 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होने से अवैध रूप से वंचित रह गये हैं।

49. उ. प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 12.10.2014 रिक्तियों के संशोधित अधियाचन पर आधारित है जिसका आदेश प्रशासनिक विभाग ने दिनांकित 20.08.2014 दिया था। हमारे दृष्टिकोण में यह न तो चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने के उपरान्त खेल के नियमों को बदलने की कोटि में आया होगा और न ही योग्यता मानक में बदलाव करने से इसने चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया होगा।

50. **प्राइवेट प्रत्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होने के उपरान्त कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 और चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते हैं।** अपीलार्थियों की तरफ से यह तर्क दिया गया कि संशोधित अधियाचन दिनांकित 12.10.2014 के जारी होने के उपरान्त प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने बिना किसी विरोध के साक्षात्कार में भाग लिया और जब परिणाम जारी किया गया तब असफल होने पर उन्होंने संशोधित अधियाचन दिनांकित 12.10.2014 को चुनौती दी और इस प्रकार प्राइवेट प्रत्यर्थी चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से बाधित हैं। यह

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सुस्थापित विधि है कि कोई भी व्यक्ति साक्षात्कार में भाग लेकर मुकर नहीं सकता है और चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता है।

51. मदन लाल एवं अन्य जम्मू कश्मीर राज्य एवं अन्य **(1995) 3 एस.सी.सी. 486** के मामले में यह अवलोकन कर निम्नानुसार अभिनिर्णीत किया कि साक्षात्कार के परिणाम को उस अभ्यर्थी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकता है जिसे साक्षात्कार में सम्मिलित होकर चयन पाने का मौका मिला है और अन्त में वह असफल घोषित हो गया हैः–

9. आयोग के संबंधित सदस्यों द्वारा कराये गये साक्षात्कार में याचिकाकर्ता भी सम्मिलित हुए जिन्होंने याचिकाकर्ताओँ के साथ ही साथ मुकदमा लड़ रहे संबंधित प्रत्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। इस प्रकार उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित होकर चयनित होने का अवसर मिला। जब उन्होंने पाया कि वे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में असफल हो चुके हैं तो उन्होंने यह रिट याचिका दायर कर दिया। अब यह सुस्थापित है कि कोई अभ्यर्थी परिकलित अवसर प्राप्त कर साक्षात्कार में साम्मिलित होता है तब केलव इसके कारण अपने बात से पीछे नहीं हट सकता कि साक्षात्कार परिणाम उसके अनुरूप नहीं था, और बाद में तर्क देता है कि

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी अथवा चयन समिति गठन उचित रूप से नहीं किया गया था। .....

52. के. एच. सिराज बनाम केरल उच्च न्यायलय एवं अन्य (2006) 6 एस.सी.सी. 395 में निम्नुसार अभिनिर्णीत किया गयाः–

> "73. अपीलार्थी–याचिकाकर्ता इस पृष्ठभूमि पर साक्षात्कार में सम्मिलित हो और जब वे असफल हो जाएं तो अपनी बात से पलट जाएं और यह तर्क दें कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक का प्रावधान उचित नहीं था....."

53. भारत संघ एवं अन्य बनाम विनोद कुमार एवं अन्य (2007) 8 एस.सी.सी. 100 के मामले में निम्नुसार धारित किया गयाः–

> "19. चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुन्तला शुक्ला (2002) 6 एस.सी.सी. 127 के मामले में आगे अवलोकन किया गयाः–
>
> "34. इस प्रकार कोई संदेह नहीं है कि आचरण द्वारा विबंध प्रासांगित तथ्यों उत्पन्न न होता जबकि विधि सुस्थापित प्रतीत होती है, कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित होता है और केवल इस कारण कि साक्षात्कार का परिणाम उसके अनुकूल नहीं है तब वह अपनी बात से नहीं पलट सकता है और बात में तर्क देता है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी और उस प्रक्रिया में कुछ कमी थी। "

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इसी सिद्धान्त को *सदानन्द हलो एवं अन्य बनाम मुमताज अली शेख एवं अन्य* (2008) 4 एस.सी.सी. 619 में दोहराकर निम्नानुसार अभिनिर्णीत किया गयाः–

> "59. यह भी सुस्थापित है कि ससफल अभ्यर्थी अपनी बातो से पीछे हटकर चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते हैं। इस न्यायालय ने इस सामान्य सिद्धान्त के प्रति कुछ अपवाद सृजित किये हैं। इस स्थिति के इस न्यायालय ने अपने द्वारा पारित हाल के निर्णय *भारत संघ बनाम एस. विनोद कुमार* (2007) 8 एस.सी.सी. 100 के मामले में दोहराया..... न्यायालय ने *ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला* 1986 *सप्लीमेंट्री* एस.सी.सी. 285 में पारित किये गये निर्णय का भी संदर्भ दिया जहां पर विशेष तौर पर यह अभिनिर्णीत किया गया है कि जब कोई अभ्यर्थी बिना विरोध के किसी परीक्षा में सम्मिलित होता है और बाद उस परीक्षा में स्वयं को असफल पाता है तब ऐसी परीक्षा को चुनौती देने वाली रिट याचिका को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठेगा।....."

54. दिनांक 15.09.2014 के लिखित परीक्षा के परिणाम को जारी करने से पूर्व राज्य सरकार ने अपने शासकीय आदेश दिनांकित 20.08.2014 द्वारा विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या संशोधित कर अधियाचन को संशोधित किया।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिनांक 12.10.2014 को उ. प्र. लोक सेवा आयोग ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें राज्य सरकार द्वारा भेजे गये अधियाचन के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों में भेजी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख किया। दिनांक 12.10.2014 को उ. प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित कार्यालय ज्ञापन इस प्रकार हैः–

उ. प्र. लोक सेवा आयोग

साक्षात्कार कार्यक्रम

माहः अक्टूबर/नवम्बर 2014 (24)

कार्यालय ज्ञापन

98.	पदः अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 (प्रोविजनल सहायक समूह–ग, कृषि विभाग उ. प्र.	
	आरक्षण सामान्य–2515 एस.सी. 1882 एस.टी. 201 अ.पि.व. 2030	अक्टूबर–27, 28, 29, 30 नवम्बर–05, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 दिसम्बर–01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 2014

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

	पे स्केलः5200–20200/– रू ग्रेड पेः 2400/– रू विज्ञापन संख्या ए–5/ई–1/2013 अन्तिम तिथिः 21.11.2013	पूर्वाह्न 10.00 से पूर्व

दिनांक 12.10.2014

इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न श्रेणी में टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन /समीक्षा के विषय में अच्छे से पता था। प्राइवेट प्रत्यर्थी/आवेदकों पूर्ण जागरूकता इस जानकारी के साथ सम्मिलित हुए कि विभिन्न श्रेणियों में संशोधित रिक्तियां भरी जाएंगी। बिना किसी विरोध के साक्षात्कार में शामिल हो जाने के उपरान्त अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को इस आधार को चुनौती नहीं दे सकते हैं कि विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया गया था और वे विबंध के सिद्धान्त के आधार पर इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

55. प्राइवेट प्रत्यर्थी जानते थे कि दिनांक 12.10.2014 को अधिसूचना द्वारा विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर दिया गया है और इस बात को जानते हुए वे बिना किसी विरोध के साक्षात्कार में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त किया। साक्षात्कार में सम्मिलित होने और अन्तिम परिणाम में असफल होने पर प्रत्यर्थी अपनी बात से पीछे हटकर संशोधित अधिसूचना दिनांकित 12.10.2014 और विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या के संशोधित अधियाचन को चुनौती नहीं दे सकते हैं। उच्चतम न्यायलय द्वारा लिये गये दृष्टिकोण को सम्मान देते हुए उच्च न्यायालय को प्राइवेट प्रत्यर्थियों/याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं प्रदान करना चाहिए था।

<u>क्षैतिज आरक्षण के रिक्त पदों को उर्ध्व आरक्षण के अभ्यर्थियों द्वारा भरा गया</u>

56. प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने कथन किया कि सांविधिक अपेक्षा के अनुरूप क्षैतिज आरक्षित रिक्तियां नहीं भरी गयी और उन रिक्तियों को अन्य अभ्यर्थियों उर्ध्व आरक्षण के द्वारा भरा गया जो सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन में है और सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को दूषित करता है। उ. प्र. लोक सेवा आयोग की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री_श्रीश कुमार मिश्रा क्षैतिज श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की संख्या की बाबत विवरण प्रस्तुत कर उन्हें उनके अलग–अलग श्रेणियों में रखा है। उक्त विवरण इस प्रकार हैः–

श्रेणी	**रिक्तियों की संख्या**	**चयनित अभ्यर्थियों की संख्या**
महिला	1325	156
स्वतंत्रता सेनानी	132	45
भूतपूर्व सैनिक	330	––
पूर्ण अंधे व्यक्ति	84	84
भागतः बधिर व्यक्ति	84	57
एक हाथ वाले व्यक्ति	42	42
एक पैर वाले व्यक्ति	42	42

उ. प्र. लोक सेवा आयोग की तरफ से यह तर्क दिया गया कि क्षैतिज आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार की नीतियों में से एक नीति यह है कि क्षैतिज आरक्षण के ऐसे पद पर आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी न मिले तो यह रिक्ति अग्रसारित हो जाता है तब इसको ऊर्ध्व आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों में से उसकी मेरिट के आधार पर अन्य समुचित अभ्यर्थी द्वारा भरा जाता है। यह तर्क

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिया गया कि रिक्त रह गयी क्षैतिज आरक्षण की रिक्तियों को राज्य सरकार के नीतियों के अनुरूप उनकी मेरिट के आधार पर ऊर्ध्व श्रेणी के समुचित अभ्यर्थी द्वारा भरा गया। उच्च न्यायालय क्षेतिज आरक्षण के लिए आरक्षित रिक्तियों को ऊर्ध्व आरक्षण के अन्य अभ्यर्थियो से भरने के साथ गलती निकालने में सही नहीं था।

<u>पूर्व न्याय की दलील</u>

57. प्रत्यर्थियों ने यह तर्क देकर उच्च न्यायालय से पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आह्वान किये जाने की मांग की गयी कि उच्च न्यायलय द्वारा पारित समान निर्णय दिनांकित 1.02.2017 में 88 याचिकाएं शामिल थीं जिसे न्यायालय ने निर्देश के साथ अनुज्ञात कर दिया जो आक्षेपित निर्णय के प्रस्तर (75) दिया गया है। इस न्यायलय के समक्ष दाखिल 21 अपीलों में से केवल जिन 6 रिट याचिकाओं में उच्च न्यायायलय ने निर्णय दिया उनको चुनौती दिया गया है वे रिट याचिकाएं इस प्रकार हैः डब्ल्यू.पी.(सिविल) 38399/2015 डब्ल्यू.पी.(सिविल) 45822/2015 डब्ल्यू.पी.(सिविल) 47894/2015 डब्ल्यू.पी.(सिविल) 50878/2015 एस.पी.एल.ए.डी. 283/2016 राज्य अथवा अपीलार्थियों के द्वारा अन्य मामलों को चुनौती नहीं दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता एम.के. परमेश्वर

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ने कथन किया है कि जबकि अपीलार्थियों ने 88 रिट याचिकाओं में पारित किये गये समान निर्णय और वर्तमान अपीलों को चुनौती नहीं दिया है, केवल डब्ल्यू.पी. (सिविल) 34196/2015 और अन्य रिट याचिकाओं को चुनौती दिया है, चूंकि अन्य रिट याचिकाओं को चुनौती नहीं दिया गया इसलिए वह अन्तिम हो चुका है और पूर्व न्याय की तरह कार्य कर रहा है। अपने तर्कों के समर्थन में *श्री गंगई विनायगर मंदिर* का अवलम्ब लिया है जहां पर उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्णीत किया कि जब एक या अधिक वादों में समान निर्णय पारित किया गया हो और एक या अधिक वादों में पारित किये गये निर्णय या डिक्री चुनौती न दिया गया हो तब पूर्व में पारित वाद को चुनौती नहीं दिया जा सकता है और वह पूर्व न्याय की तरह कार्य करता है। इसलिए यह तर्क दिया गया कि इस कार्यवाही में पूर्व न्याय का सिद्धान्त उत्पन्न होगा चूंकि अपीलार्थियों अन्य रिट याचिकाओं में पारित किये गये समान निर्णय को चुनौती नहीं दिया है।

58. उक्त तर्कों में मेरिट का आभाव है। *श्री गंगई विनायगर मंदिर* के मामले में ओ.एस. संख्या 5/1978 (व्यादेश के लिए वाद) ओ.एस. संख्या 6/1978 (वाद में धन संबंधी दावा) ओ.एस. संख्या 7/1978 (वाद में धन एवं कब्जा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

संबंधी दावा) के मामले में तीन अलग अलग डिक्रियां पारित किया गया। अभिधारी ने केवल ओ.एस. संख्या 6/1978 में पारित किये गये निर्णय को चुनौती दिया है जबकि ओ.एस. संख्या 5/1978 और ओ.एस. संख्या 7/1978 को चुनौती नहीं दिया है। उच्चतम न्यायलय ने उसी मामले में अभिनिर्णीत किया कि दो डिक्रियों को चुनौती न देना पूर्व न्याय की कोटि में नहीं आएगा। श्री गंगई विनयागर मंदिर के मामले तथ्यों और परिस्थियों और ओ.एस. संख्या 5/1978 और ओ.एस. संख्या 7/1978 को चुनौती नहीं दिये जाने पर विचार कर उच्चतम न्यायलय ने यह दृष्टिकोण लिया कि ओ.एस. संख्या 5/1978 और ओ.एस. संख्या 7/1978 के वाद में अपील न कर पाने के कारण उस मामले के अभिधारी– प्रत्यर्थी पूर्व न्याय के सिद्धान्त के चलते उस वाद हेतुक पर पुनः वाद नहीं ला सकते है।

59. यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि श्री गंगई विनयागर मंदिर के मामले न्यायलय का यह अवलोकन कि केवल एक अपील दायर कर देने सम्पूर्ण विवाद पुनः विचाराधीन हो जाता है, उच्चतम न्यायलय ने प्रस्तर 27 में निम्नानुसार धारित किया हैः–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

> "27. प्रक्रियात्मक विधि और इसकी बारीकियां वर्षों बाद विकसित होती हैं। और उनको नजरअंदाज करने से कम महत्व देने से न्याय विफल हो जाता है। विशेषकर उस मामले में जहां पर समेकीकरण आदेश पारित किया गया है वहां पर यदि समान निर्णय दिया जाता है तो हमारे विचार में यह सही नहीं है कि एक अपील करने से पूरा विवाद विचाराधीन वाद की कोटि में आ जाएगा। ..."

60. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष एक ही बात ही बात उठायी गयी और एक ही तर्क दिया गया है। उच्च न्यायलय ने समूह याचिकाओं पर विचार कर समान निर्णय द्वारा सभी को निस्तारित कर दिया। चूंकि इन समान निर्णयों में समान तर्क दिया गया इसलिए हमारे समक्ष की गयी समूह अपीलें असंगत डिक्री अथवा आदेश का परिणाम नहीं देगी क्योंकि वे सभी समान निर्णय से उत्पन्न होती है और उन सभी में निर्णय के तौर एक ही बात कही कही गयी है।

61. न्यायालय द्वारा पारित किये गये अनेक निर्णयों के प्रकाश में उक्त तर्कों पर विचार कर पाय कि यह तर्क खारिज कर दिये जाने योग्य है *श्री शिनाय एण्ड़ कम्पनी* जिसका प्रतिनिधित्व उसके भागीदार ने *बेले श्रीनिवास राय स्ट्रीट, बंगलौर*

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

एवं अन्य बनाम वाणिज्य कर अधिकारी, परिक्षेत्र–2, बंगलौर एवं अन्य **(1985) 2 एस.सी.सी. 512** के मामले में उच्च न्यायाल ने अनेक रिट याचिकाओं को अनुज्ञात किया। फिर भी राज्य ने केवल उसी मामले में अपील किया जिसे उक्त मामले में उच्चतम न्यायलय ने अनुज्ञात किया। उस दशा में न्यायाल ने यह दृष्टिकोण लिया कि इस न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायलय के समक्ष सभी निर्णयों पर बाध्यकारी है भले ही वे उच्चतम न्यायलय के समक्ष की गयी अपील में प्रत्यर्थी न रहे हों। श्री शिनाय एण्ड़ कम्पनी इस प्रकार अभिनिर्णीत किया गयाः–

> "22. यद्यपि उस अधिनियम को चुनौती देते हुए बड़ी संख्या में रिट याचिकाएं दाखिल की गयी फिर भी उच्च न्यायलय ने उन सब को एक साथ सुनकर समान निर्णय द्वारा निस्तारित कर दिया। किसी भी याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती नहीं दी। संक्षेप में, राज्य और याचिकाकर्ता के मध्य झगड़ा कोई व्यक्तिगत अथवा वैयक्तिक हित नहीं है। अधिनियम, 1979 को चुनौती दी गयी है उसमें सभी याचिकाकर्ताओं ने जो आधार लिया है वह समान है। यह चुनौती उच्च न्यायालय द्वारा समान निर्णय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और यही समान निर्णय *कर्नाटक बनाम हंसा कॉरपोरेशन वाद* (1980) 4 एस.सी.सी. 697 के मामले उच्च न्यायलय के समक्ष विषय वस्तु बन गया। जब उच्चतम न्यायालय ने इस चुनौती को खारिज कर अधिनियम को वैध करार दिया तब इसके बदले में उच्च न्यायलय ने केवल हंसा के मामले में अपीलों को निस्तारित ही

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नहीं किया बल्कि आधारहीन आधारों पर ने याचिकाकर्ताओं को परमादेश रिट जारी कर कहा कि अधिनियम, 1979 संवैधानिक रूप से अमान्य है। इसलिए यह तर्क देना मूर्खतापूर्ण है कि इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि कि केवल हंसा कॉर्पोरेशन में यह निर्णय बाध्यकारी होगा न कि उन याचिकाकर्ताओं के लिए जिनके विरूद्ध कर्नाटक राज्य ने अपील नहीं किया था। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत न्यायालय के इस निर्णय के बाध्यकारी प्रकृति को नजरअंदाज करना है।

26. हंसा कॉरपोरेशन के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सभी संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी है चाहे वह इस निर्णय के पक्षकार हो अथवा नहीं। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जोगिंदर सिंह वाद ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 913 माखनलाल वजा मामला (1971) 1 एस.सी.सी. 749 के मामले में इस न्यायालय द्वारा निष्कर्ष में कोई असंगतता नहीं है। निर्णय में समान अनुपात है और जोगिंदर सिंह के वाद में उक्त दर्शित कारणों के चलते इस न्यायालय के कतिपय निष्कर्षों का अपीलार्थी लाभ नहीं उठा सकता है। "

62. *डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट आन्ध्र प्रदेश एवं अन्य बनाम एम. आर. अपराओं एवं अन्य* **(2002) 4 एस.सी.सी. 638** उक्त सिद्वान्तों को दोहराकर न्यायालय ने निम्नानुसार धारित किया हैः–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्वेश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्वेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्वेश्यों के लिए मान्य होगा।"

"7. जहां तक प्रथम प्रश्न का संबंध है संविधान का अनुच्छेद 141 स्पष्ट करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। उक्त अनुच्चेद उच्चतम न्यायालय को विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए न्यायालय का मुख्य कार्य विधानमंडल द्वारा बनेय गये विधि का निर्वचन करना है। विधि से भिन्न तथ्यों संबंधी मामलों में न्यायालय के कथन बाध्यकारी बल नहीं रखते हैं क्योंकि दो मामलों के तथ्य समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या बाध्यकारी होगा यह निर्णय के अनुपात पर निर्भर करता है न कि तथ्य पर। यह वही सिद्वान्त है जो न्यायालय के समक्ष विचार हेतु प्रश्नों के प्रकाश में अनुपात न कि शब्द विशेष अथवा वाक्य विशेष गठित करने वाले सम्पूर्ण निर्णय को पढ़कर निकाला गया है। .....*न्यायालय के किसी निर्णय को उन प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना चाहिए जो उस मामले में विचार हेतु उत्पन्न हुए जिसमें निर्णय पारित किया गया .....इसलिए अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी विधि उस मामले में न्यायालय द्वारा किये गये अवलोकनों और निर्णयों तक विस्तृत है*। "

उक्त निर्णय का संदर्भ देकर माननीय न्यायालय ने फिदा हुसैन एवं अन्य मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एवं अन्य (2011) 12 एस.सी.सी. के मामले समान सिद्धान्त प्रतिपादित किया।

63. असफल अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाओं के माध्यम से संशोधित अधियाचन दिनांकित 12.10.2014 और परीक्षा परिणाम

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिनांकित 21.05.2015 को चुनौती दिया। यह परिणाम 22.05.2015 को जारी हुआ था। सभी रिट याचिकाओं को समान निर्णय द्वारा निस्तारित कर दिया गया। सभी वाद बिन्दुओँ को समान तथ्यों और समान तर्कों पर निस्तारित किया गया। इस तर्क में कोई मेरिट नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय केवल रिट – सी संख्या 34196/2015 के पक्षकारों पर बाध्यकारी है और इस न्यायालय द्वारा पारित अन्य निर्णय पूर्व न्याय की तरह कार्य करेगा। जैसै कि श्री शेनाय एण्ड़ कम्पनी अन्य निर्णयों में अभिनिर्णीत किया गया कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय के निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति को नजरअंदाज करना है।

<u>सफल अभ्यर्थियों का रिट याचिका में आक्षेप न लगाना</u>

64. अपीलार्थियों की ओर से कई बार कहा गया कि सफल पक्षकारों पर आक्षेप न लगाना चयनित और नियुक्त हो चुके सफल अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित नहीं करेगा। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने *भारत संघ एवं अन्य बनाम ओ.चक्रधर* **(2002) 3 एस.सी.सी. 146** का अवलम्ब लेकर अभिनिर्णीत किया कि रिट याचिका में सभी सफल अभ्यर्थियों पर आक्षेप लगाना आवश्यक नहीं है और इसलिए सफल अभ्यर्थियों पर आरोप न लगाना रिट याचिका की पोषणीयता को

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रभावित नहीं करेगा। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि ओ. चक्रधर के मामले में चयन में दुराचरण के चलते सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया दूषित थी और वर्तमान मामले में दुराचरण,कपट अथवा अन्य कोई तत्व नहीं है जो सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को दूषित करे। यह कथन किया गया कि प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या में केवल परिवर्तन के चलते आगे चयन में कमी निकालकर उच्च न्यायालय ने स्वयं लिखित परीक्षा के परिणाम का समर्थन किया है।

65. मामले के तथ्यों और परिस्थियों के आधार पर जब सफल अभ्यर्थियों के चयन को चुनौती दी जाती है तब सफल अभ्यर्थियों को ध्यान आता है .... इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2018 रिट याचिका (सिविल) संख्या 34196/015 में पारित आदेश के दृष्टिगत इस प्रश्न पर हम विचार न कर उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता/प्राइवेट प्रत्यर्थी के अधिवक्ता से पक्षकार के रूप में पदों पर आसीन अभ्यर्थियों पर वाद चलाये जाने को कहा जो प्रश्नगत पदों पर चयनित हो चुके हैं। उ. प्र. लोक सेवा आयोग की पैरवी कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ने कथन किया वह उच्च न्यायालय को कम से कम दस अभ्यर्थियों के नाम उनके विवरण सहित देना चाहते है इस पर न्यायालय ने आदेश जारी कर रिट याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे उन

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दसों अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करें। इन तथ्य और परिस्थितियों में रिट याचिका में सभी सफल अभ्यर्थियों पर वाद चलाने अथवा नहीं चलाने संबंधी प्रश्न पर हम नहीं जाना चाहते हैं।

66. **कथन– 906 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया और भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किये जाने की दलील दी गयीः** साक्षात्कार के समाप्त होने के उपरान्त उ.प्र. लोक सेवा आयोग ने 6599 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया है और आयोग द्वारा इस प्रकार अनुमोदित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार निम्नवत हैः

कुल रिक्तियां	सामान्य	एस.सी.	एस.टी.	अ.पि.व.
6599	**2488**	**1881+176 एस.टी. अभ्यर्थियों की अनउपलब्धता के चलते+2057**	**25**	**2029**

67. उ.प्र. लोक सेवा आयोग ने 29 अभ्यर्थियों के परिणाम को रोक दिया है। उ.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रकार किया गया अनुमोदन उ.प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 आरक्षण का स्वीकृत प्रतिशत के आधिक्य में था। वास्तव में,

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

यह रिट याचिका में चयनित सूची को आक्षेपित करने के आधारों में से एक था। प्रधान सचिव, वैयक्तिक, उ. प्र. सरकार ने जवाबदावा में कथन किया कि रिक्तियों में किये गये परिवर्तन को उ.प्र. लोक सेवा आयोग(एस.सी. एस.टी. अ.पि.व. हेतु आरक्षण) अधिनियम, 1994 की शर्तों के आधार पर आगे जांचा गया। यह पाया गया कि विभिन्न वर्गों के मध्य मैत्रीपूर्ण अर्थान्वयन की जरूरत है । प्रधान सचिव, वैयक्तिक, उ. प्र. सरकार ने प्रतिशपथपत्र में कहा कि कुल 6628 रिक्तियां तय प्रतिशत सीमा से अधिक थी और उक्त शपथपत्र का महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैः–

> इस प्रकार श्रेणीवार रिक्तियों की स्थिति में पुनः परिवर्तन किया गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप कुल 6628 रिक्तियों को प्रतिशत आरक्षण के आधार पर उपविभाजित किया गया है परिणामस्वरूप जिसकी घोषणा उ. प्र. लोक सेवा आयोग ने की वह तय प्रतिशत सीमा से अधिक था जो इस प्रकार हैः

2 प्रतिशत कटौती के उपरान्त उपलब्ध पद	सामान्य (50%)	एस.सी. (21%)	एस. टी. (2%)	अ.पि.व. (27%)
6628	3316	1391	132	1789

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इसके उपरान्त, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सौनिक आश्रित, दिव्यांग एवं महिला को क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने का आवेदन दिया गया जो इस प्रकार हैः–

स्वतंत्रता सेनानी आश्रित	महिला	भूतपूर्व सौनिक आश्रित	दिव्यांग व्यक्ति
132	1325	331	252

68.कुछ सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के लिए रिट याचिका संख्या 621122/2015 दायर किया और उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 15.12.2015 द्वारा अधिकारियों को नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि ऐसी नियुक्ति और चयनित सूची को ऐसे किसी आदेश का पालन किया जाना चाहिए जिसे खण्ड़पीठ जारी कर सकेगा। उक्त आदेश के अनुसरण में प्रधान सचिव, उ.प्र. सरकार दिनांक 22.12.2015 को अपने पत्र संख्या 1161/12.04.2015 माध्यम से विभाग को निर्देश जारी किया कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र जारी किया जाए और इस नियुक्ति को इस न्यायालय के अन्तिम निर्णय का पालन करना चाहिए। तदनुरूप दिनांक 30.01.2016 को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया जो इस प्रकार हैः–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

स्थिति	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
कृषि विभाग द्वारा जरी नियुक्ति आदेश	2478	1385	22	1784	5669
उ.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा प्रपत्रों को रोक दिया जाना	10	06	03	05	24
कुल पद	2488	1391	25	1789	5693
नियुक्ति पत्र न जारी किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	---	490	176	240	906

यह नियुक्ति रिट याचिकाओं के निर्णयों पर आधारित थी। इस प्रकार 5669 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया; 24 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

को रोक दिया गया क्योंकि उनके प्रपत्रों को उ.प्र. लोक सेवा आयोग ने रोक दिया था।

69. विद्वान अधिवक्ता श्री मेहुल एम. गुप्ता ने कहा कि यद्यपि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर 6599 उम्मीदवारों की सिफारिश की है, 906 उम्मीदवारों को छोड़ दिया गया था और उन्हें नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया था और उन्होने यह निर्देश देने के लिए प्रार्थना की कि 906 उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किया जाए। यह ध्यान देने योग्य है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण सीमा के तहत इन 906 उम्मीदवारों को उनकी संबंधित श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में मेरिट सूची में निचला स्थान दिया गया था, इसलिए उन्हें नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए थे। इसे मनमानी या भेदभाव नहीं कहा जा सकता क्योंकि उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर था। इसके अलावा, संशोधित अधियाचन दिनांक 20.08.2014, जिसके आधार पर आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन स्वयं जारी किया गया था, अत्यधिक अधियाचन का मामला था, जो कि उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम, 1994 द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा से अधिक था। इस अत्यधिक

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अधियाचन के कारण अनुशंसित 906 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पुनरीक्षण के बाद नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जा सका।

70. जैसा कि पहले बताया गया है, संशोधित अधियाचन दिनांक 20.08.2014 और यूपी लोक सेवा आयोग की संशोधित अधिसूचना ही उ.प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार आरक्षण की अनुमेय सीमा से अधिक थी। हम अधिशेष उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए निर्देश पारित नहीं कर सकते क्योकि उम्मीदवारों के रूप में यह अधिनियम द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा से अधिक होगा और उ.प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण की निर्धारित सीमा का उल्लंघन होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, अगर हमें 906 उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्देश जारी करना है, तो यह 50% आरक्षण की सीमा को पार कर जाएगा जो संवैधानिक प्रावधानों और उ.प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 का उल्लंघन होगा। यहां तक कि यह मानते हुए कि प्रतिवादी राज्य विभिन्न श्रेणियों में मौजूदा कार्यरत क्षमता के उचित मात्रात्मक आँकड़ों को कार्यान्वित करने और विभिन्न श्रेणियों के तहत रिक्तियों की स्थिति का पता लगाने में सावधान नहीं था,

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इसको दुहराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक गलती को एक और गलती करके ठीक नहीं किया जा सकता है।

71. यह सुस्थापित है कि चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है। जैसा कि *बिहार राज्य और अन्य बनाम अमरेंद्र कुमार मिश्रा* **(2006) 12 एससीसी 561** में अवधारित किया गया था, केवल इसलिए कि उम्मीदवारों के नाम अनंतिम चयन सूची में शामिल किए गए थे, उन्हें नियुक्त होने का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं मिलता है। केवल इसलिए कि उ.प्र. लोक सेवा आयोग ने 906 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की है, उन्हें नियुक्ति के लिए कोई अपरिहार्य अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

72. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दाखिल प्रति शपथपत्र में यह कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया था, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था, उन्होंने रिट याचिका संख्या 6198 वर्ष 2016 दायर की और उस पर उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.03.2016 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए राज्य को निर्देश दिया है। कृषि विभाग के अनुरोध पर, सरकार ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता की राय लेने के बाद आदेश दिनांक 02.03.2016 को चुनौती देते हुए खण्ड़ पीठ के समक्ष विशेष अपील

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दायर की है। उक्त विशेष अपील को 2015 के रिट–सी संख्या 34196 के साथ जोड़ दिया गया था। चूंकि 2015 के रिट–सी संख्या 34196 में, उच्च न्यायालय ने संशोधित अधियाचन दिनांक 12.10.2014 और परिणाम को रद्द कर दिया और लिखित परीक्षा की घोषणा के बाद की पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया, परिणामस्वरूप विशेष अपील खारिज कर दी गई।

73. जहां तक राज्य द्वारा दायर प्रतिशपथपत्र में वर्तमान रिक्तियों की स्थिति का प्रश्न है वहां पर यह कहा गया है कि कुल 4838 रिक्तियां खाली हैं और 2050 अभ्यर्थियों को चयनित करने के लिए अगली चयन प्रक्रिया भेज दी गयी है। राज्य द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैः–

> "... ... ... .यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विभाग में वर्तमान समय में मौजूद कुल रिक्ति 4838 है, और तदनुरूप 2059 अभ्यर्थियों को चयनित करने के लिए अधियाचन अधीनस्थ कृषि सेवा को भेज दिया गया है। इसलिए आज के प्रभाव से 2779 रिक्ति का अधियाचन अब भी नहीं किया गया है यह ध्यान रखते हुए कि 959 (906+ 53) पद विचाराधीन है जिस पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किये गये।
> उक्त वर्णित 2059 पदों का मौजूदा अधियाचन का वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अधियाचित रिक्तियों की संख्या	सामान्य	एस.सी/एस.टी.	अ.पि.व.
2059	1031	473	555
उपरोक्त रिक्त पदों को भरने के उपरान्त प्रतिशत क्षमता के अनुरूप उक्त पदों पर रिक्तियां इस प्रकार हैः			
2779	1761	534	484

74. विद्वान अधिवक्ता श्री मेहुल गुप्ता ने कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से न्यायालय से प्रार्थना किया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्ति के लाभकारी प्रावधानों का प्रयोग उन 906 अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय को कम करने के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं जारी किये गये थे। यह कथन किया गया कि अधियाचन में जो तकनीकी गलती हुयी थी वह आरक्षण की विहित सीमा के आधिक्य में थी जो आरक्षण अधिनियम, 1996 के तहत स्वीकार्य सीमा से परे थी और इसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सुधारा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि विभिन्न श्रेणियों जैसे एस .सी. , एस.टी. , अ.पि.व. के 906 अभ्यर्थियों ने

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सफलतापूर्वक लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को पास लिया है और इन सफल अभ्यर्थियों को तकनीकी खामियों से कोई लेना देना नहीं है , और इसलिए न्यायालय से प्रार्थना की जाती है कि पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया जाए। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता श्री मेहुल गुप्ता ने *भारत संघ एवं अन्य बनाम परमान्द सिंह* **1999 एस.सी.सी. (एल. एण्ड़ एस.) 625** *एवं डी.एम. प्रेमकुमारी बनाम सम्भागीय आयुक्त, मैसूर संभाग एवं अन्य* **(2009) 12 एस.सी.सी. 267** के मामले का अवलम्ब लिया है।

75. इस तथ्य का उल्लेख कर कि वर्तमान में भी 2779 रिक्तियां है और 906 रिक्तियां भरीं नहीं गयी हैं, विद्वान अधिवक्ता श्री मेहुल गुप्ता ने कथन किया कि 906 अभ्यर्थियों को उस तिथि पर मौजूदा उपरोक्त 2779 रिक्तियों में समायोजित किया जा सकता है। इस तर्क में मेरिट का आभाव है। वर्तमान में 4838 रिक्तियां उपलब्ध हैं। 2779 रिक्तियां भविष्य की रिक्तियां हैं जिसको नये अधिसूचना और 906 अभ्यर्थियों और अन्य असफल अभ्यर्थियों सहित सभी योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। उस तिथि को मौजूदा 2779 रिक्तियां वर्ष 2019 की वे रिक्तियां

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हैं जिन्हें उन अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं भरा जा सकता है जिन्होंने 2013–2014 के विज्ञापन के अनुसरण में चयन हो गया है।

76. भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय को पक्षकारों के साथ न्याय करने के लिए विस्तृत शक्ति प्रदान करता है। यद्यपि अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय को मिली शक्ति बहुत विस्तृत है, इसलिए इस शक्ति का प्रयोग कर ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जो मौलिक विधि के संवैधानिक व्यक्त प्रावधानों से असंगत हैं। *रामजी वीरजी पटेल एवं अन्य बनाम सम्भागीय कर अधिकारी एवं अन्य* **(2011) 106 एस.सी.सी.43 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया कि** भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग पक्षकारों के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि , उच्चतम न्यायालय द्वारा बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य (1998) 4 एस.सी.सी. 409 के मामले में यथानिर्णीत ,यद्यपि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति दण्ड़ात्मक है, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि उस शक्ति का उस मामले में लागू मौलिक विधि की मदद करने के लिए किया जा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सकता है। प्रस्तुत मामले में, यथापूर्व चर्चित, उ. प्र. लोक सेवा (एस.सी. एस.टी. अ.पि.व. हेतु आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार रिक्तियों के विनिर्दिष्ट प्रतिशत विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित किया गया है जैसे –एस.सी.–21 प्रतिशत, एस.टी.– 2 प्रतिशत, अ.पि.व.– 27 प्रतिशत। किसी भी भर्ती में 50 प्रतिशत से अनधिक आरक्षण की इस संवैधानिक स्वीकृत सीमा को बरकरार रखा जाना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उ. प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत संवैधानिक प्रावधानों की मदद करने के लिए नहीं किया जा सकता है। हमारे दृष्टिकोण में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में राज्य सरकार को 906 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश नहीं जारी किया जा सकता है।

77. **<u>निष्कर्ष का सारांश</u>**

(1) रिक्तियों की समीक्षा करने के लिए उ. प्र. लोक सेवा आयोग द्वरा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.10.2014 सरकार के संशोधित अधियाचन दिनांकित 20.08.2014 पर आधारित है। सरकार का संशोधित अधियचन दिनांकित 20.08.2014 विभिन्न श्रेणियों की रिक्तियों की गलत गणना में सुधार करने के लिए और उ. प्र. लोक सेवा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आयोग (एस.सी. एस.टी. अ.पि.व. हेतु आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों के लिए अपेक्षित आरक्षण के कोटे का प्रतिशत का अनुपालन करने के लिए था।

(2) उ. प्र. अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 के नियम 15 एवं 6 के दृष्टिगत भर्ती प्राधिकरण गलत गणना को सुधार करने के लिए और उ. प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 एवं कृषि सेवा नियमावली, 1993 से संगत विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या को अधियाचित करने के लिए सशक्त है।

(3) डिप्लोमाधारियों को केवल सामान्य कोटा के सापेक्ष समायोजन अपेक्षित था। उच्च न्यायालय यह कहने में सही नहीं था कि डिप्लोमाधारियों को सामान्य श्रेणी के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जाना चाहिए था जिससे कि सामान्य श्रेणी के सापेक्ष पदों की संख्या परिवर्तित हो जाए।

(4) विभिन्न श्रेणी में रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन उ .प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार आरक्षण कोटा के संवैधानिक अपेक्षा को संतुष्ट करने के लिए है और यह चयन प्रक्रिया के शुरू हो जाने के उपरान्त खेल के नियमों में परिवर्तन करने की कोटि में नहीं आता है।

(5) साक्षात्कार में सम्मिलत होकर असफल हो जाने के उपरान्त प्राइवेट प्रत्यर्थी/हस्तक्षेपकर्ता अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हैं और संशोधित अधिसूचना दिनांकित 12.10.2014 तथा अन्तिम चयन सूची दिनांकित 21.05.2015 को चुनौती नहीं दे सकते हैं।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(6) न भरे गये क्षैतिज आरक्षित पदों को उनके उर्ध्व आरक्षित पदों से भरना राज्य की नीति के अनुरूप है और गलत नहीं हो सकता है।

(7) श्री शेनाय एण्ड़ कम्पनी बंगलौर एवं अन्य बनाम वाणिज्य कर अधिकारी, सर्किल–2, बंगलौर एवं अन्य 1985 2 एस.सी.सी. 512 एवं फिदा हुसैन एवं अन्य मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एवं अन्य 2011 12 एस.सी.सी. 615 के मामले में पारित निर्णय एवं अन्य निर्णयों के दृष्टिगत केवल रिट याचिका (सिविल) 34196/2015 में पारित सामान निर्णय को चुनौती देना और अन्य रिट याचिकाओं को चुनौती न देना पूर्व न्याय की कोटि में नहीं आएगा।

78. परिणामस्वरूप, रिट याचिका (सिविल) 34196/2015 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित समान आक्षेपित निर्णय दिनांकित 10.02.2017 और समूह रिट याचिका को अपास्त किया जाता है और इन अपीलों को अनुज्ञात किया जाता है। प्राइवेट प्रत्यर्थी/हस्तक्षेपकर्ता और 906 अभ्यर्थी जिन्हें नियुक्ति आदेश नहीं जारी किया गया और जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर किया उन्हें आगामी भर्ती में एक बार आयु में छूट प्रदान किया जाएगा। आयु में छूट केवल एक बार प्रदान की जाएगी। परिणामस्वरूप सभी हस्तक्षेपकर्ता/... आवेदन को खारिज किया जाता है।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

... ...

न्यायमूर्ति आर. भानुमति

... ...

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना

नई दिल्ली,

दिनांकः 30 सितम्बर, 2019

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"